भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक : 6 मार्च, 2017

<u>अंतिम जाँच परिणाम</u>

<u>(पाटनरोधी जाँच)</u>

विषय : ईरान, कतर और चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच

सं. 14/20/2015-डीजीएडी: - समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

यत: मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. और मै. निरमा लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें ईरान, कतर, चीन जन. गण. और सउदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'लीनियर अल्काइल बेंजीन'(जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या 'एलएबी' कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त नियमों के तहत संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. और मै. निरमा लि. से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें ईरान, कतर, चीन जन. गण. और सउदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'लीनियर अल्काइल बेंजीन'(जिसे आगे संबद्ध वस्तु या या 'एलएबी' कहा गया है) के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाया गया है।

ख. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन पर प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जॉच की शुरूआत के लिए एक उचित ढ़ग से दस्तावेजित रूप में विचार किया गया है।

ग. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 उप-नियम (5) के अनुसार जॉच की शुरूआत की कार्यवाही से पहले आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया है।

घ. प्राधिकारी ने जॉच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ईरान, कतर, चीन जन. गण. और सउदी अरब (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरूद्ध जॉच की शुरूआत करने का निर्णय लिया है। जॉच शुरूआत अधिसूचना में उल्लेख के अनुसार, प्राधिकारी ने जॉच अवधि के दौरान सउदी अरब से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में ऋणात्मक पाटन मार्जिन पाया है और इसलिए वह वर्तमान जॉच में संबद्ध देश के रूप में सउदी अरब से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में जॉच की शुरूआत को उचित नहीं मानते हैं।

ङ. प्राधिकारी ने भारत में राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 7 दिसंबर, 2015 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जॉच की शुरूआत की गई। जॉच शुरूआत में एक मामूली त्रुटि में सुधार करने के लिए दिनांक 13/1/2016 को एक शुद्धिपत्र भी जारी किया गया था।

च. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों और उद्योग एसोसिएशनों (जिनके ब्योरे याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार उनके विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया।

छ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने की सलाह दी।

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुरूप भारत में चीन जन. गण के दूतावास, भारत में ईरान इस्लामिक गणराज्य के दूतावास और कतर के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति को उपलब्ध कराई थी। आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षों को भी प्रदान की गई थी।

झ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) संबंधी प्रश्नावली चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत स्थित चीन जन. गण. के दूतावास को भी भेजी गई थी जिसमें विहित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया। यद्यपि जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके किया गया है तथापि, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को सूचित किया है कि उन्होंने आवेदक के दावे की यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 और पैरा 8 के आलोक में जाँच का प्रस्ताव किया है। अंतः चीन जन. गण. के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों से ऊपर दिए गए अनुबंध-। के पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकें कि चीन जन. गण. के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार प्रदान किया जा सकता है। तथापि चीन जन. गण. से किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने चीन जन. गण. को दिए गए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का खंडन करते हुए एमईटी प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ञ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं:

ईरान कैमिकल्स इंडस्ट्रीज इनवेस्टमेंट कंपनीज, सं. 91 सैदी एसटी अफ्रीका एवेन्यु तेहरान (19679) ईरान	कोल्मर ग्रुप एजी, लोबेहोफ, मैटलस्ट्रेस 9, , 6300 जुग, स्विटजरलैंड
सीफ लिमिटेड, कतर, सीफ लिमिटेड पो. बा.: 50077, मेसाइड, कतर राज्य	जिआंगसु जिंटोंग कैमिकल कं. लि. 201 याओक्सिन एव. किंसिआ, नांजिंग जिआंगसू चीन, 210046
जिंझू यांगजिआ कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि.;	पेट्रोचाइना इंटरनेशनल फुशुन कं. लि.

सं.25, बाई गुआन ली, लिंगही जिला, जिंझू सिटी लाओनिंग प्रोविंस चीन जन. गण.	16-हुंहे रोड, नार्थ फुशुन लिआनिंग प्रोविंस चीन जन. गण
सिनोपेक जिनलिंग पेट्रोकैमिकल कार्पोरेशन; सं. 22, चाओयंगमेन नार्थ स्ट्रीट, चाओयंग जिला, बिजिंग, चीन जन. गण.	ग्रेट ओरिएंट कैमिकल (टाइकेंग) कं. लि.; रूम 807, सेंचुरी वेल्थ बिल्डिंग, नं.86 शंघाई रोड (ई), टाइकांग, जिआंगसु प्रोविंस चीन 215400
ग्रेट ओरिएंट कैमिकल (टाइकेंग) कं. लि. ; 11 साउथ बिंजिआंग रोड, टाइकांग रोड डेवलपमेंट जोन, जिआंगसु 215433 – चीन	

ट. जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया:

i. मैं. सीफ लि., कतर (उत्पादक)
ii. मैं. ग्रेट ओरिएंट कैमिकल (टाइकेंग) कं. चीन
iii. मैं. कतर कैमिकल एंड पेट्रोकैमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुटाजाट) क्यू.जे.एस.सी., कतर (निर्यातक)
iv. मैं. जिआंगसू जिंटुंग कैमिकल कोर्प लि. और उसके संबंधित पक्ष होटूंग कैमिकल कार्प और शार्पिवेस्ट, चीन जन. गण.
v. रेनिश पेट्रोकैम एफजेडई

ठ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं थी :

मैं. फैशन सूटिंग (पी) लि. 3, छाबड़ा मेंशन पुरी रोड भीलवाड़ा-311001	मैं. श्री युनिकान आर्गेनिक्स प्रा. लि. बीएस, एपजी; 130 मुंबई समाचार मार्ग मुंबई-400023
ए.आर. सल्फोनेट्स प्रा. लि. प्लाट नं. एन41 ; अतिरिक्त अंबरनाथ, एमआईडीसी आनंद नगर ; जिला थाणे - 421501 ; महाराष्ट्र	तमिलनाडु स्माल स्केल श्राप एंड डिटरजेंट्स; चेटू डी अंपा, IV तल , सं. 37, पुराना नं. 110 ; नेल्सन मनिकम रोड चेन्नई -600029

शांतिनाथ डिटरजेंट्स (पी) लि. पी-15, कलाकार स्ट्रीट ; कोलकाता-700007	राजाराम ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज; 14, अजीज नगर सेकेंड स्ट्रीट ; कोडमबक्कम चेन्नई.600024
किशोर संस डिटरजेंट्स लि. 15-9-469, महनूनगंज हैदराबाद – 500012. (आं.प्र.)	एडवांस सर्फेक्टेंट्स इंडिया लि. 511/2/1. रजोकरी, नई दिल्ली-110038
ए. आर. स्टेनकेम प्रा. लि., निर्यातक और विनिर्माता ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट दूसरा तल, कोक एंड कालवे बिंल्डिंग कोलकाता 700001	न्यू इंडिया डिटरजेंट्स लि. ए-2/25 माडल टाउन -1 दिल्ली-110009
मैं. स्माल स्केल डिटरजेंट्स 43 यूरोपियन एसाइलम लेन, कोलकाता -700016	स्टेंडर्ड सर्फेक्टेंट्स लि. 8/5 आर्य नगर, कानपुर-208002
गोरा मल हरि राम लि. 39, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक एरिया नई दिल्ली -15	डिटरजेंट मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 148 न्यू ओखला, इंडस्ट्रीयल कांप्लेक्स-। नई दिल्ली-110020
बारकुर सर्फेक्टेंट्स प्रा. लि. यूनिटाप हाउस, ईस्ट वेस्ट इस्टेट सफेद पूल, अंधेरी कुर्लारोड मुंबई -400072	इसरो प्रोडक्ट यूनिटाप हाउस, ईस्ट वेस्ट इस्टेट सफेद पूल, अंधेरी कुर्लारोड मुंबई -400072
एस.कुमार्स डिटरजेंट्स प्रा. लि. 4-डी, लोकल शापिंग सेंटर, ए ब्लाक, रिंग रोड, नारायणा, नई दिल्ली -110028	सकी-कैम 59 और 60 डीएसआईडीसी, इंडस्ट्रीयल कांप्लेक्स ओखला, फेस-।, नई दिल्ली-110020
हिपोलीन लि. मधुबन, चौथा तल, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006	आल इंडिया फेडरेशन आफ डिटरजेंट्स मेन्युफेक्चरर्स; 511/2/1, रजोकरी, नई दिल्ली -38
महाराष्ट्र स्माल स्केल शाप डिटरजेंट्स मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन श्री वीराबाई मा निवास, शास्त्री नगर स्क्वायर, नागपुर-8,	गुजरात स्माल स्केल डिटरजेंट्स मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन, द्वारा किशोर शाप इंडस्ट्रीज, महेश्वरी मिल रोड

महाराष्ट्र	तावडीपुरा, शाहीबाग अहमदाबाद – 380004
पावर शाप्स लि., 62-बी, नार्थ बोग रोड, टी. नगर चेन्नई -600017	मै. भास्कर वेंकटेश प्रोडक्ट्स प्रा. लि., भवानी कांप्लैक्स, 35, हनुमानगंज, जुमेरती कार्नर के पास, भोपाल– 462001 (म.प्र.)
मै. अबडोर कंज्यूमर केयर लि., जालान कम्पाउंड, बाम्बे हाइवे, एनएच सं. 6, बिपारन्नपारा, हावड़ा– 711411	मै. प्रभु शाप वर्क्स, पो. बा.न. 5115, 3/ए1; थायिर इट्टेरी रोड, कन्नप्पन नगर, रतिनापुरी (डाकघर) कोयम्बटूर – 641 027
मै. शिवा शाप वर्क्स नंथावना पट्टी, डिंडीगुल– 624005	मै. भारती शाप वर्क्स, पहली लाइन नल्लाचेरूवू गुंटूर – 522 003 (आं.प्र.)
मै. सबरी डिटरजेंट्स 191 वलपराई रोड, अवलचिन्नमपलायम, जमीन कोट्टमपट्टी, पोल्लची– 642 123	मै. एस. एस. एंटरप्राइजेज सं.-43, सिडको इंडस्ट्रीयल इस्टेट, डिंडीगुल -624003
मै. मान कैमिकल्स, 20/1, सिवाकामी इल्लम, लक्ष्मी सुंदरम कालोनी, एम.एस.पी. स्कूल ग्राउंड के पीछे डिंडीगुल – 624 005	मै. शक्ति ट्रेडर्स, सं.. 5/810, मल्लीगाई रोड, कूट्टूरावू नगर, डिंडीगुल – 624 005
मै. श्रीराम भारत कैमिकल्स एंड डिटरजेंट्स (प्रा)लि.., 1/56, संजय गांधी नगर, नोचीपलायम रोड, 46, पुंढूर गांव, इरोड – 638002	मै. नेशनल शाप कंपनी, 138/1, सम्मान पलायम पिरिवु नसियानूर रोड विल्लारसमपत्ती नाल रोड, नसियानूर (डाकघर) इरोड – 638107, तमिलनाडु
मै. श्री मनाकुला विनायगा कैमिकल्स, आरएस सं. 89/1-एफ एंड डी, पन्नीथिट्टू रोड किरुममपक्कम,	मै. सिल्वर कैमिकल्स, 1/255, मेन रोड, वलायनकुलम, मदुरै – 625 022, तमिलनाडु

पुदुचेरी – 607 402	
मै. राजा कैमिकल वर्क्स, # 137, समी अयर न्यू स्ट्रीट , कोयंबटूर – 641 001	मै. श्री पुष्पम इडस्ट्रीज, आरएस सं. . 121/1 और 63/7, मडागडीपूट और तिरूबुवानी गांव, तिरूबुवानाई पोस्ट, पांडिचेरी– 605107
मै. लिंगम कैमिकल इंडस्ट्रीज, 8/55, अंबाई रोड, अलंगुलम – 627851, तिरूनेवेली , तमिलनाडु	मै. आनंद कैमिकल्स, 13/4 कामाराजार नगर, अवनीयापुरम (डाकघर) ; अयानपप्कुडी मदुरै– 625012 (तमिलनाडु)
मै. हाई-टेक इंडिया, नं. 1, वेंगुर रोड, थिरूवेरूम्बूर, त्रिची – 620 013	मै. फ्लोरा कैमिकल्स 2/226, अम्माची अम्मन कोइल स्ट्रीट, उथानगुडी, मदुरै– 625 107
मै. देवी क्रापसाइंस प्रा. लि. पो. बा. नं. 274, 29-ए, वर्कशाप रोड मदुरै – 625 001	मै. शनमुगा इंडस्ट्रीज, 139-एबीसी, सुंडाक्मुथुर रोड, सेल्वापुरम, कोयंबटूर – 26
मै. साइमोस प्रोडक्ट्स, 4/139. अयनारपुरममेन रोड, पनाईयूर (डाकघर), मदुरै – 625009	मै. रेसमे प्रोडक्ट्स, 2/221., अयनार कोविल स्ट्रीट, उथनगुडी, मदुरै– 625 017
मै. अर्चिड कैमिकल्स, 183, नेडुनगुलम रोड, पोटापलायम, सिवागाना जिला 630611	मै. मुथुकनी इंडस्ट्रीज, 2/104 (1)- नयू कालोनी, अंडीपत्ती– डाकघर, अलनगुलम – 627 851
मै. वरदान डिटरजेंट प्रा. लि., प्लाट नं.. 131, सेक्टर – 24, फरीदाबाद – 121005	मै. राइनो इंडस्ट्रीयल आर्गेनिक्स प्रा. लि., बी-93, मायापुरी– I, नई दिल्ली – 64
फेना प्रा. लि., ए- 67 और 68 मेटूपलायम, पीआईपीडीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, पांडिचेरी 605009	स्किल डाइकेम, विलेज पंचपारा, डाकघर राधादासी - 711309, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल

ड. जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है:

i. हिंदुस्तान यूनीलिवर लि.

ii. डिटरजेंट मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
iii. आर्डर इंटरनेशनल प्रा. लि. , आर्डर ग्लोबल प्रा. लि. और कैम-एज इंटरनेशनल प्रा.लि.
iv. सर्फैक्टेंट्स मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
v. इंडियन होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री एसोसिएशन

ढ़. जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों को भी भेजी गई थी :

मै. इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन आयल भवन, नं. 1, श्री अरबिंदो मार्ग, यूसूफ सराय नई दिल्ली – 110 016	मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. मेकर चैम्बर्स IV तीसरा तल, 222, नरीमन प्वाइंट मुंबई– 400 021

ण. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत कए गए साक्ष्य के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों को वर्तमान जॉच परिणामों में ध्यान में लिया गया है।

त. प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए समय-सीमा को बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्यातकों/आयातकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उसके मिलान में कुछ और समय की जरूरत को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 19 फरवर, 2016 की अधिसूचना द्वारा प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 8 मार्च, 2016तक बढ़ा दिया था।

थ. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।

द. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से जाँच अवधि समेत विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्योरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया

गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य तथा क्षति विश्लेषण की गणना के लिए डीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है। डीजी सिस्टम्स के आकड़ों को भी यथा आवश्यक समझी गई सीमा तक भारत को पीओआई के दैरान संबद्ध वस्तु के आयात आकड़ों को सह-संबंधित करने के लिए प्राप्त किया गया था।

ध. याचिकाकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों से आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे सूचना मांगी गई थी। वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग को सत्यापन किया गया था।

न. सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत पर आधारित क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) को ज्ञात किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

प. वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ जॉच अवधि अप्रैल 2014 – जून, 2015 (15 महीनों) (जिसे आगे जॉच की अवधि या जॉच अवधि भी कहा गया है) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृतियों की जॉच में 2011 - 2012, 2012- 2013, 2013-14 और जांच की अवधि शामिल है।

फ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।।। में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक जॉच की है ताकि भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और क्षतिरहित कीमत ज्ञात की जा सके और इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ब. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 8 जून, 2016 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। बाद में 4 नवंबर, 2016 को एक और आम सुनवाई आयोजित की गई जिसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षों ने भाग लिया। मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने अनुरोध को विरोधी हितबद्ध पक्षों को परस्पर आदान-प्रदान के लिए अन्य द्वारा उनके बाद खंडन प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

भ. पीओआई के लिए अम. डा. से रूपये में परिवर्तन के लिए विनिमय दर इस प्रकार है :

1 अम.डा. = 62.13 रूपये

1 अम.डा. = 3.64 क्यू आर

1 अम.डा. = सीएनवाई 6.1

म. अंतिम जॉच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार/अन्य हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

य. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी ने 21 फरवरी को मामले के अनिवार्य तथ्यों प्रकटन किया था। 1 मार्च, 2017 तक टिप्पणियों का अनुरोध किया गया था। प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जॉच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक विचार किया गया है।

र. केन्द्र सरकार द्वारा इस जॉच को पूरा करने के लिए अंतिम तिथि को 06/03/2017 तक बढ़ा दिया गया था।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

2. वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद ईरान, कतर और चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' है।

<u>निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार</u>

3. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच अंतर हैं, चीन से आयातित उत्पाद में एलएबी के प्रति टन अणु 1.6 प्रतिशत कम हैं और ईरान से आयातित में भारतीय घरेलू उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की तुलना में 0.8 प्रतिशत कम है। समान उत्पादों की तुलना सुनिश्चित करने पर इस बात पर विचार किया जाना चाहिए।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

क. वर्तमान जॉच में पीयूसी 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' (एलएबी) है और उसमें मिश्रित

बेंजीन शामिल है और मिश्रित अलकाइल नेप्थलीन उसमें विशिष्ट रूप से शामिल नहीं है।

ख. एलएबी को पैराफीन और बेंजीन के कच्ची सामग्री के रूप में निकालकर केरोसीन के प्रयोग से विनिर्मित किया जाता है। पैराफीन को फीडस्टाक केरोसीन से हाइड्रोबोन मोलेक्स प्रक्रिया से निकाला जाता है। इन पेराफीन को उच्च ताप पर सिलेक्टिव डिहाइड्रोजेनेशन द्वारा उनके ओलेफिन में बदला जाता है। उसके बाद 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' बनाने के लिए ओलेफीन को बेंजीन में अल्काईलेटेड किया जाता है।

ग. एलएबी का प्रयोग मुख्यत: 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' सल्फेट के उत्पादन में होता है जिसे उसके बाद लाउंड्री डिटरजेंट, लाइट-ड्सूटी डिशवाशिंग तरल, औद्योगिक क्लीनरों और घरेलू क्लीनरों को तैयार करने में प्रयोग किया जाता है।

घ. संबद्ध वस्तु के कोई ज्ञात वाणिज्यिक रूप से मौजूद ग्रेड नहीं हैं।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एलएबी और संबद्ध देशों से आयातित एलएबी में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशन, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं।

च. पीयूसी में अंतर के संबंध में हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाए कि लीनियर अल्काइल बेंजीन के निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशन हैं जिनमें अंतर्निहित अन्य घटकों के लिए सीमाएं परिभाषित हैं। सभी विनिर्माताओं, भारतीय और विदेशी द्वारा उत्पादित एलएबी इन विनिर्देशनों को पूरा करती है। यह उत्पाद विनिर्देशन की केवल गलत व्याख्या है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जॉंच</u>

5. वर्तमान जॉंच में पीयूसी 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' (एलएबी) है और उसमें मिश्रित बेंजीन शामिल है और मिश्रित अलकाइल नेप्थलीन उसमें विशिष्ट रूप से शामिल नहीं है। विचाराधीन उत्पाद को बाजार शब्दावली में वाणिज्यिक रूप से लीनियर अल्काइल बेंजीन (लघु रूप में एलएबी) के रूप में जाना जाता है।

6. एलएबी कार्बन अणुओं की एकल श्रृंखला से जुड़े बेंजीन रिंग के संघटित पदार्थों के मिश्रण के रूप में उपलब्ध है। विचाराधीन उतपाद के अनेक आइसोमर संभव हैं क्योंकि बेंजीन रिंग टर्मिनल कार्बन के अलावा अल्काइल श्रृंखला के सभी कार्बनों में हो सकती है। प्रति अल्काइल श्रृंखला में

कार्बनों की संख्या किसी दिए गए उत्पाद में दस से सोलह हो सकती है। यह $C_6H_5C_nH_{2n+1}$ वाला एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें 10 से 16 के बीच होता है। यह रंगहीन और गंध रहित तरल होता है और जल में थोड़ा घुलनशील होता है। उसे ज्वलनशील रासायनिक उत्पाद माना जाता है। यह रासायनिक मध्यवर्ती का कार्यकरता है और मुख्यत: लीनियर अल्काइलबेंजीन सल्फोनेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसे उसके बाद लाउंड्री डिटरजेंट, लाइट-ड्सूटी डिशवाशिंग तरल, औद्योगिक क्लीनरों और घरेलू क्लीनरों को तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 38 के अधीन आयात किया जा रहा है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जॉचके दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

7. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि उनके द्वारा विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया भी तुलनीय हैं।

8. हितबद्ध पक्षों ने संबद्ध देशों से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में एलएबी प्रति टन अणुओं में अंतर की दलील दी है। हितबद्ध पक्षों के दावे की रिकार्ड में सूचना और भारतीय उत्पादकों और कतर में उत्पाद के परिसर में मौके पर सत्यान के समय जॉच की गई थी। यह नोट किया जाता है कि कतर में प्रतिवादी उत्पादक ने अणु के भार में अंतर के कारण उत्पादन लागत में किसी अंतर का दावा न करने को स्वीकार किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अणु भार में अंतर कच्ची सामग्री या प्रक्रियाओं में अंतर का परिणाम है। कोई उत्पादक किसी अणु भार विशेष के उत्पाद के उत्पादन की मंशा नहीं रखता है। हितबद्ध पक्षों ने अणु भार में अंतर के आधार पर लागत और कीमत में किसी मात्रात्मक अंतर को सिद्ध नहीं किया है।

9. उक्त के अधीन, विचाराधीन उत्पाद या समान वस्तु के दायरे के संबंध में किसी हितबद्ध पक्ष से कोई तर्क प्राप्त नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्पाद और आयात आकड़ों की जॉच से पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं है। विनिर्माण प्रक्रिया और प्रतिस्थापनीयता में समानता को देखते हुए प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करने के प्रयोजनार्थ इन्हें समान और एक उत्पाद मानते हैं।

<u>घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

<u>निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार</u>

10. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. याचिकाकर्ता कुल भारतीय उत्पादन का मुख्य हिस्सा नहीं बनाते हैं क्योंकि वे कुल घरेलू उत्पादन के केवल 32 प्रतिशत का उत्पादन करते हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं के आकड़ों पर विचार करके प्राधिकारी समग्र रूप से भारतीय उत्पादकों के रूझान का निर्धारण नहीं कर सकते हैं।

ख. घरेलू उद्योग के लिए मुख्य हिस्से और स्थिति संबंधी सीमा की अपेक्षाएं एडी नियमों के तहत दो अलग अपेक्षाएं हैं जैसा कि ईसी-फास्टेनर्स (चीन)में डब्लूटीओ अपीलीय निकाय की स्थिति है। याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 32 प्रतिशत है जिसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर विकृति के जोखिम पर घरेलू उद्योग बनाने के लिए पर्याप्त माना गया है, विशेष रूप से क्योंकि घरेलू उद्योग बिखरा हुआ नहीं है और शेष 68 प्रतिशत संबद्ध वस्तु के केवल दो प्रमुख उत्पादकों के पास है।

ग. आरआईएल और आईओसीएल को अपने पूरे क्षति संबंधी आकड़े प्रस्तुत करने चाहिए ताकि प्राधिकारी सभी चार उत्पादकों के आकड़ों पर विचार करते हुए वास्तविक क्षति के लिए निष्पक्ष विश्लेषण कर सकें। यह निर्विवाद है कि समर्थकों के लिए विस्तृत क्षति अनुरोध प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, परंतु आरआईएल और आईओसीएल का केवल समर्थकों के रूप में भाग लेना उनके प्रमुख हिस्से के होने के कारण अपर्याप्त है।

घ. आरआईएल का दिनांक 14 जून, 2016 का पत्र अत्यंत त्रुटिपूर्ण है और उसे जॉच की शुरूआत के 7 महीने से अधिक अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं के साथ आरआईएल का कोई संयुक्त आकड़ा नहीं दिया गया है।

ड़. दूसरी सुनवाई के स्तर पर, हितबद्ध पक्षों ने यह दलील दी की प्राधिकारी को आरआईएल के आकड़े स्वीकार नहीं करने चाहिए क्योंकि वह काफी देरी से थे।

च. संशोधित आवेदन के अनुसार, एक याचिकाकर्ता ने संबद्ध वसतु का आयात किया है जिससे याचिकाकर्ताओं के बिक्री के हिस्से में कमी आ जाती है। घरेलू उद्योग द्वारा आयातों का कोई ब्योरा नहीं दिया गया है।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

11. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है और

इसलिए याचिका को घरेलू उद्योग द्वारा दायर माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता कुल भातीय उत्पादन के 32 प्रतिशत का उत्पादन करते हैं जो एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अधीन प्रमुख हिस्सा बनता है। इस संबंध में *लुब्रिजोल (इंडिया)प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले को निर्णायक* के रूप में माना गया है।

ख. किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी ने संबद्ध देशों में से उत्पाद का आयात नहीं किया है।

ग. याचिकाकर्ताओं के अलावा भारत में लीनियर अल्काइल बेंजीन के दो और उत्पादक अर्थात मै. इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. हैं। दोनों उत्पादकों ने वर्तमान याचिका का समर्थन किया है।

घ. जहां तक आरआईएल और आईओसीएल द्वारा क्षति संबंधी आकड़े प्रस्तुत करने का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने प्रयास किये हैं और इन कंपनियों से अनुरोध किया है। यद्यपि याचिकाकर्ता संगत सूचना प्रदान करने के लिए किसी कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते हैं तथापि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ मै. आरआईएल से आकड़े मांगे थे जिसने जॉच की प्रक्रिया के दौरान क्षति सूचना प्रदान की।

ड़. आरआईएल की विलंबित क्षति सूचना के मुद्दे के संबंध में, हितबद्ध पक्षों ने स्वयं रिलायंस की भागीदारी का मुद्दा यह कहते हुए उठाया है कि याचिकाकर्ताओं का हिस्सा भारतीय उत्पादन में कम है। अतः इस संदर्भ में सूचना का खंडन करना तार्किक नहीं है जबकि उसे जॉच शुरूआत के काफी बाद में प्रस्तुत किया गया है। किसी भी तरह से, हितबद्धपक्षों को आरआईएल द्वारा प्रदत्त सूचना पर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है।

च. कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणन और जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना दर्शाती है कि याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। प्रस्तुत याचिका के भाग 4 में त्रुटि को सुधार दिया गया है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जॉच</u>

12. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से

संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।

13. यह आवेदन मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. और मै. निरमा लि. द्वारा दायर किया गया है। किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी ने जॉच अवधि के दौरान न तो संबद्ध देशोंसे संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही याचिकाकर्ता कपनियां संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। संबद्ध वस्तु के दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं अर्थात मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) और इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) जिन्होंने आवेदन का समर्थन किया है। यद्यपि आरआईएल का समर्थन पत्र याचिका का हिस्सा है तथापि आईओसीएल ने समर्थन का अपना पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा है।

14. पीओआई के दौरान आवेदकों का उत्पादन संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अत: प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं के पास भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है और वे नियम 5(3) के अनुसार योग्यता को पूरा करते हैं और नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग बनने के पात्र हैं।

15. जॉच शुरूआत के बाद, हितबद्ध पक्षों ने यह दलील दी कि कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा कम है और विचाराधीन उत्पाद के अन्य कड़े उत्पादकों ने अपनी क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। आरआईएल ने जॉच की प्रक्रिया के दौरान क्षति संबंधी सूचना प्रदान की है। आरआईएल द्वारा प्रदत्त सूचना सार्वजनिक फाइल के जरिए हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई गई थी और विभिन्न हितबद्ध पक्षों ने उस पर टिप्पणियां भी दी थी। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आरआईएल ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है न ही वे भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। आरआईएल द्वारा प्रदत्त सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उनके परिसर में मौके पर सत्यापन करके सत्यापित किया है। इसके अलावा,आरआईएल ने प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सूचना प्रदान की है।

16. यह आवेदन मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. और मै. निरमा लि. द्वारा दायर किया गया है। निम्नांकित तालिका पीयूसी के उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा दर्शाती है।

भारतीय उत्पादन का विवरण				
	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
टीएनपीएल	***	***	***	***
निरमा	***	***	***	***
याचिकाकर्ता	*185,781*	*173,646*	*138,651*	184,836
आरआईएल	***	***	***	***
आईओसीएल	***	***	***	***
याचिकाकर्ता समर्थकों सहित	453,722	455,618	421,962	519,420
विभिन्न पक्षों का हिस्सा				
टीएनपीएल	***	***	***	***
निरमा	***	***	***	***
याचिकाकर्ता	*41%*	*38%*	*33%*	36%
आरआईएल	37%	36%	39%	36%
आईओसीएल	***	***	***	***
कुल भारतीय उत्पादन	100%	100%	100%	100%

जैसा ऊपर नोट किया गया है मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) और इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) ने भी पहले याचिका का समर्थन किया है। आवेदन के पास प्रमुख हिस्सा भी है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) और नियम 2(ख) के अधीन घरेलू उद्योग की योग्यता को भी पूरा करते हैं। तथापि मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने जॉच की प्रक्रिया के दौरान क्षति संबंधी आकड़े और उत्पादन लागत प्रदान की है प्राधिकारी ने उस पर विचार किया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया है। इस शामिल करने के बाद, घरेलू उद्योग अर्थात मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. और मै. निरमा लि. और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. का हिस्सा निम्नानुसार है

घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल होने पर भारतीय उत्पादन का विवरण				
	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
घरेलू उद्योग	351,722	336,098	302,442	370,020
आईओसीएल (समर्थक)	***	***	***	***

समर्थक के साथ घरेलू उद्योग	453,722	455,618	421,962	519,420
विभिन्न पक्षों का हिस्सा	%			
घरेलू उद्योग	78%	74%	72%	71%
आईओसीएल	22%	26%	28%	29%
कुल भारतीय उत्पादन	100%	100%	100%	100%

17. इस बात पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग को नियम 2(ख) के अधीन समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों के रूप मे या ऐसे घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका समग्र उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो, हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा कम है, और यह कि केवल आरआईएल का ही हिस्सा भारतीय उत्पादन में काफी अधिक है। घरेलू उद्योग में आरआईएल के जुड़ने से घरेलू उत्पादकों का हिस्सा 78 प्रतिशत हो गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्लूटीओ अपीलीय निकाय ने माना है कि सकल घरेलू उत्पादन में उतपादकों का हिस्सा पर्याप्त होना चाहिए और यह कि प्राधिकारी को किसी मामला विशेष में यथासंभव अधिकाधिक उत्पादक घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करने चाहिए। प्राधिकारी उक्त को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों पर विचार करके आरआईएल के आकड़ों को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करना उचित समझते हैं और मै. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि., मै. निरमा लि. और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग मानते हैं।

ड़. <u>गोपनीयता</u>

18. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

> (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

<u>निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार</u>

19. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं :

क. याचिका में याचिकाकर्ताओं के उतपादन के संबंध में विरोधाभासी आकड़ें दायर किये गए हैं जिन्हें घरेलू उद्योग ने 2 जून 2016 के अपने पत्र में भी स्वीकार किया है जिसमें यह बताया गया है कि गोपनीय अंश में सही आकड़े हैं। तथापि सही सूचना हितबद्ध पक्षों को कभी भी प्रदान नहीं की गई। याचिका के अगोपनीय अंश में आकड़े सही नहीं हैं जो एडी नियमावली के नियम 7 का उल्लंघन है।

ख. सामान्य मूल्य की गणना की हर बात को गोपनीय रखा गया है।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

20. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. याचिका में प्रदत्त आकड़ों में एक छोटी सी मामूली गलती हुई है। इस त्रुटि को बाद में सार्वजनिक सुनवाई से काफी पहले सुधार दिया गया। यह त्रुटि बिल्कुल अप्रासंगिक है क्योंकि वह वर्ष 2013-14 के लिए कटौती तालिका में बताई गई आयात मात्रा में थी जो वर्तमान मामले में पीओआई नहीं है। इसके अलावा, कीमत कटौती सीआईएफ आयात कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई जिसे सही बताया गया।

ख. समस्त सूचना विधिक प्रावधान के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के अनुसार अगोपनीय अंश में प्रदान की गई है। केवल उसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है जिसे याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गया है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

21. प्राधिकारी मानते हैं कि हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता की अपेक्षा को पूरा करती है। प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है। ऐसी सूचना जिसे गोपनीय माना गया है को अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षों से गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने को कहा गया है। प्राधिकारी ने इस पहलू के संबंध में एक संगत प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के ऐसे अगोपनीय अंश को उपलब्ध रखा है।

<u>च. विविध मुद्दे</u>

<u>निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार</u>

22. हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

क. जाँच की शुरूआत के समय, आवेदन के गोपनीय और अगोपनीय दोनों अंशों को प्राधिकारी की फाइल में होना चाहिए। डब्लूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.1.3 पर भरोसा करते हुए, याचिका की प्रति प्रदान करने में 37 दिनों की देरी को तत्काल कार्रवाई नहीं माना जा सकता है इसलिए वर्तमान जाँच का समाप्त किया जाना चाहिए।

ख. हितबद्ध पक्षों को प्रदत्त दस्तावेज जाँच की शुरूआत के अलए आवेदन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्राधिकारी उनके आधार पर जाँच की शुरूआत नहीं करते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सउदी अरब से संबंधित सूचना शामिल थी तथापि हितबद्ध पक्षों को प्रदान की गई आवेदन की प्रति में सउदी अरब से संबंधित कोई आकड़े नहीं है इसलिए वर्तमान जाँच को समाप्त करना चाहिए।

ग. जॉच की शुरूआत के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त आवेदन हितबद्ध पक्षों के लिए संगत दस्तावेज/साक्ष्य का एक हिस्सा है और हितबद्ध पक्षों के पास पाटनरोधी जॉच की शुरूआत के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त समस्त सूचना तक पंहुच होनी चाहिए। वर्तमान जॉच में अनुच्छेद 6.4 का उल्लंघन हुआ है इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

घ. वर्तमान जॉच में जॉच शुरूआत का आवेदन जॉच शुरूआत की सूचना में प्रकाशित सूचना के आधार पर जॉच शुरूआत के बाद दायर किया गया है।

ड़. हितबद्ध पक्षों को जॉच की शुरूआत के लिए आवेदन प्रदान किया जाना चाहिए :

i. उनके पास जॉच की शुरूआत पर टिप्पणी करने का अधिकार है। इसके अलावा नियम 5(3) डीए को (क) और (ख) में शर्तों को पूरा किए बिना जॉच की शुरूआत करने से निषिद्ध करता है।

ii. अप्रैल 2015 से जून 2015 तक चीन से आयात 10584 मी.टन हैं औ यदि पीओआई के लिए आयात में अप्रैल 2015 से जून 2015 के आयात शामिल हैं तो पीओआई के लिए अप्रैल 2014 से जून 2014 के आयात केवल 9720 मी. टन थे जो इस तथ्य के साथ है कि दो लगातार पूर्ववर्ती वर्षों में कोई आयात नहीं हुए हैं और 2011-12 में नगण्य रहे हैं। ईरान का भी ऐसा ही मामला है जिसमें पीओआई के दौरान आयात मात्रा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम थी। इस प्रकार जॉच शुरूआत नियम 5 को पूरा नहीं करती है।

iii. आवेदन में आकड़े के लिए घरेलू उद्योग द्वारा सत्यता का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसे जॉच की शुरूआत के बाद दायर किया गया है। आयातों का कुल सीआईएफ मूल्य संबद्ध देशों के लिए लाख रूपये में प्रत्येक देश से आयातों के सीआईएफ मूल्य के योग के बराबर नहीं है जिससे मामूली कीमत कटौती को भारी कटौती बना दिया गया है।

iv. निरमा के लिए उत्पादन के आकड़े केवल पीओआई के लिए हैं क्योंकि क्षमता भी दर्शाई गई है और आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल उत्पादन क्षति संबंधी विवरण के आकड़ों से मेल नहीं खाता है।

v. घरेलू उद्योग को आवेदन के केवल गोपनीय अंश में ही सही सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

vi. सउदी अरब से पंहुच कीमत संशोधित जॉच अवधि के दौरान कतर और चीन की कीमत से काफी अधिक नहीं है। इसके अलावा आवेदन मार्च 2015 तक की अवधि के लिए सीमित है जिससे प्राधिकारी कतर और चीन के विरूद्ध जॉच की शुरूआत करने में सक्षम हुए हैं। नये आवेदन में घरेलू उद्योग को यह सिद्ध करने में सक्षम बनाने की सूचना नहीं है कि अन्य देशों से क्षति मार्जिन सकारात्मक था।

vii. घरेलू उद्योग ने पूर्ववर्ती आवेदन में केवल डीजीसीआईएंडएस के आयात टी/टी आकड़े प्रदान किए होंगे और उसी को नये आवेदन के मुद्रित रूप में दायर किया गया है अर्थात कोई साफ्ट प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है।

viii. प्राधिकारी ने आवेदन दायर करने की योग्यता निर्धारित करने के लिए घरेलू उतपादकों के उत्पादन के आकड़ों की जॉच नहीं की है क्योंकि पीओआई और क्षति अवधि के आकड़े जॉच की शुरूआत के समय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं कराए गए।

च. सउदी अरब को बिना किसी आधार के संबद्ध देशों के दायरे से बाहर रखा गया है:

i. सउदी अरब से आयात पीओआई के दौरान ईरान से आयातों का लगभग दुगना और चीन से आयातों के तीन गुने से अधिक हो गये हैं।

ii. जॉच अवधि के दौरान सउदी अरब से आयात संबद्ध देशों से तुलनीय कीमत पर भारत में आये हैं।

iii. हाल की अधिकांश अवधि (अप्रैल 2015 से जून 2015) के दौरान सउदी अरब से आयात भारत में सभी संबद्ध देशों की तुलना में कम कीमत पर आए हैं। भारतीय कानून और डब्लूटीओ कानून दोनों में से किसी में भी इस आधार पर किसी देश को संबद्ध देश मानने पर कोई रोक नहीं है कि क्या पीओआई की प्रत्येक तिमाही या माह में आयात प्रभावित हुए हैं।

छ. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के उत्पादन के संबंध में याचिका में दिए गए विरोधाभासी विवरणों के बावजूद वर्तमान जॉच में एक आम सुनवाई की जिससे प्रदत्त सूचना के संबध में सार्थक रूप से टिप्पणी करने के लिए निर्यातकों को एक उचित अवसर नहीं दिया गया है।

ज. हितबद्ध पक्षकार आईओसीएल द्वारा प्रदत्त कथित समर्थन पत्र को नहीं देख पाये हैं।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

23. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं :

i. घरेलू उद्योग ने जांच प्रारंभ होने के बाद तत्काल याचिका के अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराईं। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अद्यतन याचिका को परिचालित करना उचित समझा। प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि के लिए आंकड़े भरने की जरूरत के बारे में सूचित किए जाने पर, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि के लिए सभी संगत सूचना और प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि के लिए सभी संगत सूचना समेकित भी की है।

ii. चूंकि प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को सूचना मांगने संबंधी पत्र जारी होने के बाद उनके हितों की संरक्षा के लिए 40 दिन का समय प्रदान किया है, इसलिए प्रश्नावली जारी होने और याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने में कथित विलंब के कारण किसी पक्षपात का दावा नहीं किया जा सकता। यह ऐसी स्थिति नहीं है कि प्राधिकारी ने पत्र जारी होने की तारीख से 40 दिनों का समय प्रदान नहीं किया है। अतः जहां तक संरक्षा के अधिकार का संबंध है, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया है।

iii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने और अनुरोध करने के लिए जांच शुरू होने की तारीख से 90 दिनों का समय प्रदान किया था। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि पक्षकारों को जांच शुरू होने से 37 दिनों तक याचिका प्राप्त नहीं हुई थी, तो भी किसी भी तरह से पक्षकारों को याचिका उपलब्ध कराने के बाद पक्षकारों के पास प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने और अनुरोध करने के लिए 53 दिनों का समय उपलब्ध था। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पक्षकारों को 53 दिनों का प्रभावी समय दिया था जबकि नियमों में दस्तावेज भेजने के

लिए केवल 30 दिनों और 7 दिनों का प्रावधान है। अतः नियमों और करार के तहत 37 दिन प्रदान करने के स्थान पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने के बाद हितबद्ध पक्षकारों को 53 दिन का समय प्रदान किया था।

iv. मैक्सिको से डब्ल्यूटीओ पैनल ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट में, पैनल ने यह भी विश्लेषण किया था कि क्या उल्लंघनों से पाटनरोधी करार के तहत सदस्य देश को होने वाले लाभ अप्रभावी अथवा बाधित हो गए। वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों के संरक्षण के लिए 40 दिन का समय प्रदान किया गया है।

v. कतर में उत्पादकों ने इनवॉयस के पश्चात छूट प्रदान की है। वस्तुओं की ऊंची कीमत पर इनवॉयस प्राप्त की जाती है और बाद में निर्यातक आयातकों को छूट देते हैं।

vi. सऊदी अरब को जांच से बाहर करने के संबंध में, यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने सऊदी अरब के संबंध में याचिका दाखिल की है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नकारात्मक क्षति मार्जिन के आधार पर उसे निकालकर न्यायोचित कार्य किया है, क्योंकि भारत कमतर शुल्क नियम को अपनाता है और क्षति मार्जिन में जांच की अवधि के दौरान सुधार नहीं हो सकता। संबद्ध देशों से आयात सऊदी अरब से हुए आयात की बजाए कमतर मूल्य पर आ रहे हैं। आईओसीएल ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपना पत्र सीधे भेजा था, जो वह हितबद्ध पक्षकारों को भेज सकता है।

vii. जहां तक विरोधात्मक विवरण के बावजूद सार्वजनिक सुनवाई करने का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने डीजीएडी के पास जन सुनवाई होने से यथा समय पूर्व दिनांक 2 जून, 2016 के एक पत्र में याचिकाकर्ताओं के उत्पादन के बारे में सही सूचना प्रदान की है।

आईओसीएल ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को सीधे अपना पत्र भेजा था, जो वह हितबद्ध पक्षकारों को भेज सकता है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

24. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए उपरोक्त विविध अनुरोधों का विश्लेषण किया है, जो इस प्रकार हैः

i. इस तर्क के संबंध में कि याचिका को जांच शुरू करने से 37 दिनों के विलंब के बाद परिचालित किया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस मामले के लिए चुनी गई जांच की अवधि के लिए याचिकाकर्ताओं से अद्यतन सूचना मांगना उचित समझा है और उसके बाद हितबद्ध पक्षकारों को जांच की अवधि के अद्यतन आंकड़ों सहित याचिका के साथ प्रश्नावली जारी करना उचित समझा। प्राधिकारी ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने और उनके हितों का संरक्षण करने के लिए कोई अन्य सूचना प्रदान करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को याचिका परिचालित करने की तारीख से 40 दिन का समय प्रदान किया। उसके बाद कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने और अपना अनुरोध करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे वर्तमान मामले में उदारतापूर्वक प्रदान कर दिया गया था। इसके अलावा, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई की अवस्था में पहली बार के लिए अपने कानूनी अनुरोध किए, जो जांच शुरू होने के 184 दिनों के बाद शुरू हुई थी। तथापि, प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने और इन हितबद्ध पक्षकारं द्वारा दी गई सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी और जांच में उन पर विचार भी किया गया है। प्राधिकारी ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी हितबद्ध पक्षकार अपने हितों के संरक्षण के लिए अपनी इच्छा के अनुसार अवसर प्राप्त करें और इस आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार को परेशान नहीं होने दिया है कि उनके द्वारा किए गए अनुरोध विलंब से है। वास्तव में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रारंभिक मामले, जैसे आयातित और घरेलू उत्पाद के मोलिक्यूलर भार में कथित अंतर जांच शुरू होने के बाद पहली बार उठे हैं और अब इन पर प्राधिकारी द्वारा विचार करके इनका समाधान किया है।

ii. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने याचिका प्रदान नहीं की है, जिस पर जांच शुरू करने के लिए विचार किया गया था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा विचार की जा रही जांच की अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों पर टिप्पणियों के साथ जांच की उत्तर देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को उचित और सार्थक अवसर प्रदान करने के लिए प्राधिकारी ने प्राधिकारी द्वारा यथा निर्णित अद्यतन अवधि के लिए सूचना और जांच शुरू करने

के लिए प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय मानी गई याचिका, दोनों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई। यह हितबद्ध पक्षकारों को प्रभावी अवसर प्रदान करने और जांच शुरू करने के प्रयोजन से संगत आंकड़े और अवधि पर टिप्पणियां चाहने और उसके बाद इस जांच के तहत निर्धारण करने के लिए किया गया था। जांच शुरू करने के लिए प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय मानी गई याचिका की एक प्रति वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दी गई थी और अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने संकलित करके उन पर टिप्पणियां प्रदान की हैं।

iii. इस तर्क के संबंध में कि ईरान और चीन से आयात घरेलू उद्योग द्वारा मूल जांच में विचार की गई जांच की अवधि के लिए काफी कम प्रतीत होते हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों के अंश पर संतुष्ट होने के बाद ही वर्तमान जांच शुरू की गई थी। वास्तव में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दावा नहीं किया कि इन देशों से आयातों का अंश बहुत ही कम था।

iv. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और इससे गलत आंकड़े दिए गए हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रथम दृष्टया पुष्टि की गई थी और उसके बाद उसे जांच शुरू करने के प्रयोजन से स्वीकार किया गया था।

v. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के आधार और क्षेत्र का जांच की अवधि के लिए विश्लेषण नहीं किया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू करने के समय आधार का निर्धारण उस अवधि के लिए याचिका में शामिल सूचना पर आधारित है जिसके लिए याचिका में आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्तमान मामले में, यह देखा गया था कि घरेलू उद्योग के पास उनकी जांच में घरेलू उद्योग द्वारा विचार की गई जांच की अवधि के लिए अपेक्षित आधार था। यहां तक कि ऐसे मामले में, जहां जांच की अवधि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित अनुसार रखी गई है, आधार की वास्तविकता का आगे सत्यापन किया जा सकता है और जांच की जा सकती है। रिकार्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह पता चलता हो कि याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि में प्रथम दृष्टया आधार नहीं रखा है । जहां याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच की अवधि में पर्याप्त आधार नहीं दिया हो, जांच को नियम 14 के तहत समाप्त किया जाना चाहिए था। हितबद्ध पक्षकार का तर्क इस आधार को पुष्ट करता है कि

प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाई गई जांच की अवधि से भिन्न अवधि नहीं चुन सकते। तथापि, प्राधिकारी पर याचिकाकर्ताओं द्वारा यथा प्रस्तावित अवधि के लिए विचार करने की कोई बाध्यता भी नहीं है। विस्तृत जांच के लिए जांच की अवधि याचिका में प्रस्तावित जांच की अवधि से ज्यादा अलग नहीं हो सकती। जैसा कि इस जांच परिणाम के संगत भाग में नोट किया गया है, घरेलू उद्योग ने इस जांच में अपेक्षित आधार पर विचार किया है और यह प्रस्तावित और स्वीकार की गई जांच की अवधि में नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

vi. जहां तक सऊदी अरब को निकालने का संबंध है, प्राधिकारी ने जांच प्रारंभ करने की अवस्था में सऊदी अरब से आयातों की जांच की थी और यह पाया था कि सऊदी अरब से आयातों के मामले में क्षति मार्जिन नकारात्मक था। अतः सऊदी अरब को वर्तमान जांच में एक संबद्ध देश के रूप में नहीं माना गया। वास्तव में, चीन, कतर और सऊदी अरब से अलग कीमतों में काफी भिन्नता थी। इसके अलावा, जांच के दौरान प्राधिकारी उपरोक्त की पुष्टि करते हैं कि सऊदी रब से आयातों का क्षति मार्जिन नकारात्मक है।

छ. <u>सामान्य मूल्य (एनवी), निर्यात कीमत (ईपी) और पाटन मार्जिन (डीएम)</u>

<u>निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

25. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन से संबंधित निम्नलिखित मामले उठाए हैं:

क. ईरान और कतर के लिए परिकलित किया गया मूल्य अधिनियम की धारा 9क(1ग), पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I तथा डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद-2 का उल्लंघन है क्योंकि इसके लिए भारतीय घरेलू उत्पादकों से संबंधित कुछ लागत घटकों और अन्य देशों के संबंध में कुछ लागत घटकों का उपयोग करके गणना की गई है। सूचना उपलब्ध न होना ऐसी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए एक कारक नहीं हो सकता जो लागू विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

ख. ईरान और कतर में निर्माताओं द्वारा एन-पैराफिन का उत्पादन एलएबी के निर्माण के लिए खरीद करने की बजाए कैरोसिन से किया जाता है। अतः ईरान और कतर के

लिए सामान्य मूल्य का निर्माण करने के लिए एन-पैराफिन की आयात कीमतों का उल्लेख गलत है।

ग. चीन के लिए सामान्य मूल्य की गणना भी गलत है क्योंकि ऐसा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के पहले 2 विकल्पों को समाप्त किए बिना अंतिम विकल्प के आधार पर किया गया है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात कीमत निकालने के लिए किए गए समायोजनों के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।

ङ. त्रुटिपूर्ण सामान्य शुल्क और कमतर निर्यात कीमत के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन से पाटन मार्जिन के कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है। संबद्ध देशों के लिए निर्धारित किया गया कथित पाटन मार्जिन जांच की अवधि में कुछ तिमाहियों के दौरान नकारात्मक और शून्य रहा है। अतः संबद्ध देशों से बढ़ाए गए पाटन मार्जिन आयातों के साथ भी भारत में पाटन नहीं हुआ है।

च. मैसर्स ईएलपी एडवोकेट्स, जो मैसर्स एसईईएफ, मैसर्स मुंताजत और मैसर्स रेनिश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ने अपने दिनांक 28 दिसंबर, 2016 के पत्र के तहत यह कहा है कि सामान्य मूल्य के लिए सऊदी अरब जैसे देशों को तीसरे देश की बिक्री पर विचार करते हुए विभिन्न उपभोक्ता प्रोफाइल, व्यापार के स्तर आदि क कारण उचित नहीं हो सकता।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

26. सामान्य मूल्य के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन के पूर्व मामलों में प्राधिकारी द्वारा और अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा जांची गई स्थिति के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना जाए। चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।

ii. बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति तब तक प्रदान नहीं की जा सकती, जब तक कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा न कर लिया जाएः

क. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई एक प्रमुख शेयरधारक राज्य के स्वामित्व/नियंत्रण वाली संस्था न हो।

ख. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह प्रमाणित न कर दें कि प्रमुख निविष्टियों की लागत पर्याप्त रूप से बाजार के मूल्यों को दर्शाती है।

ग. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह प्रमाणित न कर दें कि उनके खातों की अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की गई है।

घ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता यदि एक मानदंड की भी संतुष्टि नहीं हुई हो।

ङ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदारी चीन के प्रतिवादी निर्यातकों की है न कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की।

च. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और उसकी समूह कंपनियां मिलकर दावा न करें।

छ. ऐसी स्थिति में, जहां पर कि वर्तमान शेयरधारकों ने स्वयं अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं, लेकिन किसी अन्य पक्षकार से अर्जित की हैं, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि परिवर्तन की प्रक्रिया दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से पूरी तरह से प्रमाणित न हो जाए।

27. सामान्य मूल्य का निर्धारण ऐसे कारण से एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर नहीं हो सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

28. चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन की लागत का विधिवत समायोजन करने के बाद किया गया है।

29. ईरान और कतर के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में एलएबी की बिक्री की वास्तविक लेन-देन कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए और संबद्ध देश से अन्य देशों को किए जा रहे निर्यात की सामग्री की कीमत के लिए प्रयास किए गए थे। तथापि, याचिकाकर्ता संबद्ध देश के घरेलू बाजार के लिए अथवा अन्य देशों को निर्यातों के लिए सौदा कीमतों के पर्याप्त और वास्तविक साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अतः याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों में उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

30. जहां तक निर्यात कीमत समायोजनों के लिए साक्ष्य का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने उपलब्धता के अनुसार साक्ष्य प्रदान किए हैं और जहां कहीं साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, सर्वाधिक रुढ़ीवादी अनुमान दिए हैं।

31. जहां तक एन-पैराफिन का भी संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने सर्वाधित उपलब्ध सूचना का उपयोग किया है। चूंकि संबद्ध देशों से निर्यातों से उत्तर दाखिल किए गए हैं, प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उन पर विचार किए जाने की संभावना है।

32. जहां तक चीन के सामान्य मूल्य के लिए पहली दो पद्धतियों का उपयोग करने का संबंध है, यह कहा जाता है कि सबसे पहले तो संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और दूसरे याचिकाकर्ता एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में एक उत्पादक से ऐसी सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।

33. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपयोग में लाए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए गए नियमों के तहत परिकलित किए गए हैं। इस प्रकार से निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन न केवल न्यून से अधिक है बल्कि पर्याप्त भी है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

<u>पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के लिए कार्य प्रणाली – चीन</u>

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि धारा 9 (क) (1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य हैः

"व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या भू-भाग में खपत के लिए नियत हो; अथवा

जब निर्यातक देश या भू-भाग के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या भू-भाग की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या भू-भाग से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागतः

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम के देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु का निर्यात के देश से होकर केवल यानान्तरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में उसकी कीमत के संबंध में किया जाएगा।"

34. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 के तहत एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन किए जाने की जरूरत है, यदि चीन जन गण से निर्यातक पैरा 8 में उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करे और इसे विरोधी प्रमाणित करे। चीन से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली में पैरा 8 के उप पैरा (3) में उल्लिखित अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की जरूरत थी ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) दर्जा प्रदान करने के लिए विचार कर सके।

35. प्राधिकारी ने चीन से ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी और उन्हें यह परामर्श दिया कि निर्धारित प्रश्नावली में निर्धारित रूप से और निर्धारित तरीके से तथा साथ ही उपरोक्त पैरा (35) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सूचना उपलब्ध कराए। तथापि, केवल मैसर्स जियांग्सू जिंतुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड ने भी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए दावा नहीं किया था।

चूंकि चीन की किसी भी कंपनी ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बाजार अर्थव्यवस्था के पहलु का निर्धारण नहीं किया है और नियम 6(8) के तहत सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के मूल्यांकन की संगत कार्यप्रणाली अपनाई है।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादक मैसर्स जियांग्सू जिंतुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड ने दो संगत संस्थाओं अर्थात मैसर्स शार्पइन्वेस्ट और मैसर्स होटुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से तीन सौदों में वस्तुओं का निर्यात किया है जिसकी मात्रा *** मी. टन है और दो वास्तविक प्रयोक्ताओं को सीधे *** मी. टन का निर्यात किया है। मैसर्स शार्पइन्वेस्ट और मैसर्स होटुंग केमिकल कारपोरेशन ने प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं। उसने किसी असंगत व्यापारी, डिनो-विक को *** मी. टन की बिक्री की है जिसने सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा संगत संस्थाओं के माध्यम से और सीधे भारत को अपनी बिक्रियों पर प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के लिए विश्लेषण किया है और अन्य माध्यमों के लिए, जहां पर कि व्यापारी ने भाग लिया, विश्लेषण व्यवहार्य नहीं है। अतः सहयोगी उत्पादक के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण निर्यातों के इनके सहयोगी माध्यमों तक सीमित है और उत्तर न देने

वाले निर्यात माध्यम अवशिष्ट श्रेणी के भाग के रूप में माने गए हैं। पाटन मार्जिन का मूल्यांकन भारतीय औसत के आधार पर समग्र जांच की अवधि के लिए किया गया है।

<u>चीन में सामान्य मूल्य</u>

चूंकि चीन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सामान्य मूल्य के संबंध में उत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों, घरेलू उद्योग के आंकड़ों के तहत ऊर्जा लागतों, मानक परिवर्तन लागतों, एसजीए और उत्पादन लागत पर ***% के एक तर्कसंगत लाभ के संबंध में समायोजनों के साथ भारत में उत्पादन की लागत अपनाकर नियम 6 (8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। जांच की अवधि के लिए सामान्य मूल्य *** डॉलर/मी. टन होता है।

<u>चीन में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

36. प्राधिकारी ने मैसर्स जियांग्सू जिंतुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के अलग-अलग निर्यातों के दो माध्यमों की निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

मैसर्स जियांग्सू जिंतुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मैसर्स शार्पइन्वेस्ट और मैसर्स होटुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से *** मी. टन निर्यातों की कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण किया है, जिसमें बैंक प्रभारों, ऋण लागत, पैकिंग और सीमा शुल्क ब्रॉकर चार्ज के लिए सकल सीआईएफ, इनवॉयस मूल्य से, जिसे *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन (सीआईएफ) माना गया है, क्रमशः ***, ***, *** और *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन के समायोजनों पर विचार किया गया है। कारखाना बाह्य कीमत *** डॉलर/मी. टन होती है।

मैसर्स जियांग्सू जिंतुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड के भारत में वास्तविक प्रयोक्ताओं को सीधे कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण किया है, जिसमें बैंक प्रभारों, ऋण लागत, पैकिंग और सीमा शुल्क ब्रॉकर चार्ज के लिए सकल सीआईएफ, इनवॉयस मूल्य से, जिसे *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन (सीआईएफ) माना गया है, क्रमशः ***, ***, ***, *** और *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन के समायोजनों पर विचार किया गया है। दो माध्यमों के पहुँच मूल्य की लागू बुनियादी सीमा शुल्क और पहुँच मूल्य पर उप

शुल्क का प्रयोग करके गणना की गई है, जिसे सीआईएफ आयात कीमत और ***% पहुँच प्रभार के रूप में विचार किया गया है। एफओबी/सीएफआर पर लेन-देन को यथा लागू बीमा/समुद्री माल-भाड़े पर समुचित व्यय को शामिल करके सीआईएफ में परिवर्तित किया गया है। असहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए उच्चतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सहयोगी माध्यमों के मार्जिन से अपनाया गया है।

<u>ईरान और कतर के लिए पाटन मार्जिन</u>

37. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से सूचना प्रदान करने का परामर्श देते हुए प्रश्नावली भेजी है। कतर के मूल के विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया गया था। तथापि, ईरान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके इस जांच में सहयोग नहीं किया है।

i. मैसर्स एसईईएफ लिमिटेड, कतर (उत्पादक)
ii. मैसर्स कतर केमिकल एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी., कतर (निर्यातक)
iii. मैसर्स रेनिश पैट्रोकेम एफजेडई

<u>कतर के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

कतर में उत्पादक और निर्यातक से प्रश्नावली उत्तर को देखते हुए प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण कतर से उत्पादक और निर्यातक द्वारा दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के आधार पर किया गया है। पाटन मार्जिन का निर्धारण दो माध्यमों अर्थात मुंताजात से भारत के माध्यम से और मुंताजात व रेनिश से भारत के माध्यम से अलग-अलग किया गया है। एसईईएफ, कतर के संबंध में पाटन मूल्यांकन के पहलुओं पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध को देखते हुए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के तहत एसजीए और सामान्य लाभों के साथ जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत पर परिकलित सामान्य मूल्य पर विचार करते हैं। उत्तर न देने वाले माध्यमों, अर्थात मैसर्स वेस्ट फोर्ड के लिए पाटन और क्षति मार्जिन पर असहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुसार विचार किया गया है, अर्थात सहयोगी माध्यमों के लिए मूल्यांकन के परिणामों

के आधार पर जांच की अवधि के दौरान सबसे अधिक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर विचार किया गया है।

मैसर्स एसईईएफ लिमिटेड, उत्पादक और उसके सहयोगी निर्यातक अर्थात मैसर्स कतर केमिकल एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी. ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। निर्यातक और उत्पादक का मैसर्स कतर केमिकल एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी., निर्यातक को विशेष बिक्री अधिकार प्रदान करने के संबंध में एक करार है जिसके तहत सभी स्थानों अर्थात घरेलू बाजार, भारत और भारत के अलावा अन्य देशों को मैसर्स एसईईएफ लिमिटेड द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की समस्त मात्रा की बिक्री के लिए एक सहमत विपणन शुल्क फार्मूला है। जांच की अवधि के दौरान निर्यातक ने भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं और भारत के अलावा अन्य देशों को *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की जिसमें उनके घरेलू बाजार में कोई बिक्री नहीं थी। निर्यातक ने भारत से बाहर के व्यापारियों के माध्यम से भारत को आगे निर्यात किया है और भारत में ऐसी आयातक संस्थाओं को भी सीधे निर्यात किया है, जो व्यापारी भी हैं। मैसर्स कतर केमिकल एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी. के अलावा मैसर्स रेनिश पैट्रोकेम एफजेडई, व्यापारी, यूएई द्वारा उत्तर दाखिल किया गया था। जांच की अवधि में भारत को *** मी. टन बिक्री में से मैसर्स कतर केमिकल एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी. ने भारत में मैसर्स अर्डोर ग्रुप (3 आयातक) को *** मी. टन और मैसर्स रेनिश पैट्रोकेम एफजेडई के माध्यम से *** मी. टन निर्यात किया है।

उत्पादक, "मैसर्स एसईईएफ लिमिटेड" ने भी उत्तर दाखिल किया है, जिसमें सभी स्थानों के लिए बिक्री किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन की उसी लागत के दावे का उल्लेख करते हुए प्रश्नावली के अनुसार संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत और मैसर्स मुंताजात से प्राप्त निवल लाभ दर्शाया गया है। सीफ के लिए सीओपी/एनवी निर्धारित करने के लिए, विचाराधीन उत्पाद की प्रति इकाई लागत विभिन्न लागत कारकों पर विचार करने के बाद निर्धारित की गई है जैसे उत्पाद, वसूली और जांच अवधि के दौरान वास्तविक लाभ को जोड़ने के द्वारा सत्यापित और समायोजित करने के बाद । विभिन्न कारकों की प्रति इकाई लागत निर्धारित करने के लिए मालसूची समायोजन

प्रशासन और बिक्री तथा उत्पादन वसूली को बिक्री की मात्रा द्वारा भाग किया गया है जबकि अन्य लागत कारकों को भी उत्पादन मात्रा से भाग किया गया है । सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन होता है, जिसमें उत्पादन की लागत पर ***% लाभ शामिल है।

<u>निर्यात कीमत – कतर</u>

भारत को अन्य माध्यमों अर्थात मुंताजात द्वारा निर्यातों के लिए भारत को जांच की अवधि में कारखाना बाह्य निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए जांच की अवधि के दौरान सीएफआर कीमत पर विचारित समायोजन छूट, माल-भाड़ा, ऋण लागत, बैंक प्रभार, सीमा शुल्क, स्वीकृति शुल्क, अंतरण शुल्क, अतिरिक्त युद्ध जोखिम, ब्याज प्रभार, सर्वेक्षण प्रभार, विपणन शुल्क, के संबंध में क्रमशः ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** और *** डॉलर/मी. टन (भारित औसत आधार पर) है। मैसर्स मुंताजात और मैसर्स रेनिश द्वारा निर्यातों के मामले में कारखाना बाह्य निर्यात कीमत डॉलर/मी. टन में निर्धारित करने के लिए विचार किए गए समायोजन माल-भाड़ा (***), सीमा शुल्क स्वीकृति (***), सर्वेक्षण प्रभार (***), समुद्री बीमा (***), विपणन शुल्क (***) तथा छूट (***) है। मैसर्स मुंताजात को भुगतान किया गया "विपणन शुल्क" भी मैसर्स एसईईएफ लिमिटेड की कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकालने के लिए समायोजित की गई है। जहां तक विचाराधीन उत्पाद के उच्चतर मोलिक्यूलर भार पर समायोजन का संबंध है, लागत अथवा कीमत में मात्रा सहित कोई पर्याप्त साक्ष्य इस समायोजन पर विचार के लिए प्रदान नहीं किया गया था और इसीलिए इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। जहां तक व्यापार के स्तर पर दावा किए गए समायोजन का संबंध है, निर्यातक ने जांच की अवधि की विभिन्न तिमाहियों में व्यापारियों और प्रयोक्ताओं को कीमत में अंतर प्रदान किया है, लेकिन कीमत में भिन्नता की मात्रा और दिशा में किसी ऐसे अंतर पर विचार के लिए कोई संगत प्रवृत्ति सुझाव नहीं गई है, जबकि निर्यातक द्वारा अपने सभी उपभोक्ताओं को अपनी विचारित कीमत संबंधी नीति के मामले के रूप में निर्यातक द्वारा मात्रा संबंधी छूट प्रदान की जा रही है। अतः प्राधिकारी ने निर्यात कीमत पर इस समायोजन पर विचार नहीं किया है। मुंताजात के माध्यम से निर्यातों के लिए कारखाना बाह्य कीमत और मुंताजात तथा रेनिश के माध्यम से कीमत क्रमशः *** डॉलर/मी. टन और *** डॉलर/मी. टन होती है।

<u>ईरान</u>

38. **<u>ईरान के मामले में सामान्य शुल्क</u>**

चूंकि ईरान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतें, घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार विद्युत लागतों, मानक परिवर्तन लागतों, एसजीए और उत्पादन लागत पर ***% पर्याप्त लाभ के संबंध में समायोजन के साथ भारत में उत्पादन की लागत को अपनाकर नियम 6(8) के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। जांच की अवधि के लिए सामान्य मूल्य *** डॉलर/मी. टन होता है।

<u>निर्यात कीमत</u>

चूंकि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने सीआईएफ कीमत के निर्धारण के लिए डीजीसीईआईएस के आयात संबंधी आंकड़ों को अपनाया है। कारखाना बाह्य निर्यात कीमत के मूल्यांकन के लिए प्राधिकारी ने समुद्री माल-भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार तथा बंदरगाह व्यय के संबंध में *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन, *** % सीआईएफ (*** अमेरिकी डॉलर/मी. टन) के समायोजन पर विचार किया है। सभी 3 समायोजनों के लिए अर्थात कमीशन, बैंक प्रभार तथा बंदरगाह प्रभार *** % एफओबी (*** अमेरिकी डॉलर/मी. टन) है। आयातों के पहुँच मूल्य के निर्धारण के लिए बुनियादी सीमा शुल्क और उप शुल्क का प्रयोग पहुँच मूल्य पर किया गया है जिसे *** % पहुँच प्रभारों के साथ सीआईएफ के रूप में विचार किया गया है। सीआईएफ, कारखाना बाह्य निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य का मूल्यांकन क्रमशः *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन, *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन, *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन के रूप में किया गया है।

<u>पाटन मार्जिन</u>

39. पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए भारत की कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की तुलना सामान्य मूल्य के साथ की गई है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है।

40. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है और प्रत्येक संबद्ध देशों से किए गए निर्यातों के संबंध में नियमों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है।

<u>पाटन मार्जिन</u>

क.

		कतर		
क्र.सं.	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन अम.डॉ./मी.ट.	पाटन मार्जिन % (रेंज)
i.	मै. सीफ लिमिटेड	मै. मुंताजात	***	0 - 10
ii.	पाटन मार्जिन	मै. मुंताजात और मै. रेनिश पेट्रोकैम एफजेडई (ट्रेडर)	***	30 - 40
iii.	मै. सीफ	उपरोक्त i तथा ii की भारित औसत	***	0- 5
iv.	कोई	कोई	***	30 - 40

ख.

		चीन जन. गण.		
क्रम सं.	**उत्पादक**	**निर्यातक**	**पाटन मार्जिन डॉलर/मी. टन**	**पाटन मार्जिन % (रेंज)**
i.	मैसर्स जियांग्सु जिंतुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड	मैसर्स हुतोंग केमिकल कारपोरेशन और मैसर्स शार्प इनवेस्ट	***	10 - 20
ii.	मैसर्स जियांग्सु जिंतुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड	मैसर्स जियांग्सु जिंतुंग केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड	***	20 - 30
iii.	उपरोक्त (i) और (ii) के अलावा कोई अन्य	उपरोक्त (i) और (ii) के अलावा कोई अन्य	***	20 - 30

ग.

		ईरान		
क्रम सं.	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन % (रेंज)
i.	कोई	कोई	***	10 - 20

ज. <u>क्षति का निर्धारण और कारणात्मक संबंध</u>

41. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी भी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाएं "..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ....."। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत के साथ तुलना में पाटित आयातों से पर्याप्त कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से पर्याप्त मात्रा में कीमतों में अन्यथा कोई कटौती हुई है अथवा कीमत में वृद्धि पर रोक लगी है, जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में हो गई होती।

42. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए आवेदन संबंधित उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की ओर से मैसर्स निरमा लि. तथा मैसर्स तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्ट्स लि. द्वारा किया गया है और उसे आईओसीएल तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा समर्थन किया गया था। तथापि, बाद में जांच शुरू करने के समय, प्राधिकारी ने मैसर्स निरमा लि., मैसर्स तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्ट्स लि. की घरेलू उद्योग के रूप में प्रयोज्यता पर विचार किया है। तथापि, जांच के दौरान मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., जिसने प्रारंभ में याचिका का समर्थन किया है, ने आंकड़े प्रदान किए जिसकी पुष्टि की गई है। अंतिम निर्धारण की अवस्था में सभी 3 उत्पादक अर्थात मैसर्स निरमा, मैसर्स तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्ट्स लि. और मैसर्स रिलायंस इंड्स्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग माना गया है। अतः निर्धारण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की लागत और क्षति की सूचना, जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, की जांच की गई है।

<u>निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

43. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में निम्नलिखित मामले उठाए हैं :

क. याचिकाकर्ताओं की बिक्री की प्रवृत्ति और बाजार अंश अन्य भारतीय उत्पादकों से बिल्कुल विपरीत है।

ख. संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों जैसे (क) स्टॉक की मात्रा, (ख) कर्मचारियों की संख्या, (ग) मजदूरी, (घ) उत्पादन, (ङ) घरेलू बिक्रियां, (च) बाजार अंश, (छ) लाभप्रदता और (ज) पूंजी पर प्रतिफल का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग. चीन जन. गण. से वस्तुओं की दर क्षति अवधि में आईएनआर/मी. टन 94632 से बढ़कर आईएनआर/मी. टन 96381 हुई है। निर्धारणीय मूल्य भी आईएनआर/मी. टन 95578 से बढ़कर आईएनआर/मी. टन 97344 हो गया है।

घ. कारणात्मक संबंध में कमी है क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई है, तो वह अन्य कारकों के कारण हो सकती है, जैसा कि टीएनपीएल द्वारा अपनी 2014-15 की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है।

ङ. निष्पादन में उत्पादन, बिक्री, पूंजीगत उपयोग, उत्पादकता, मजदूरी और वस्तु सूची के संदर्भ में सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा, दो निष्पादकों का निष्पादन बिल्कुल अलग है कि टीएनपीएल ने निरमा से अलग निष्पादन किया है।

च. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 26% तक की वृद्धि होने के बारे में बताया गया है जबकि याचिकाकर्ताओं की बिक्री में क्षति अवधि के दौरान 8% तक की वृद्धि हुई है। तथापि, अन्य देशों से आयातों की मात्रा में 197% तक की पर्याप्त वृद्धि हुई है।

छ. याचिकाकर्ताओं द्वारा संबद्ध देशों और अन्य देशों से किए गए आयातों की कीमत से 10% कम तक कीमतें गिरी हैं।

ज. सऊदी अरब के आयातों की मात्रा और कीमतों, दोनों के संदर्भ में काफी प्रभाव पड़ा है।

झ. अन्य आर्थिक कारक जैसे बिक्री की मात्रा, बाजार अंश और उत्पादन में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है। अंत स्टॉक में उल्लेखनीय कमी आई है और मजदूरी में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान प्रतिदिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान संबद्ध देश के आयातों में गिरावट के लिए यह आरोप नहीं लगाया गया था कि ये पाटित कीमतों पर हुए थे और याचिकाकर्ताओं की बिक्रियां और उत्पादन पर्याप्त रूप से कम हो रही थी तथा बाजार अंश स्थिर रहा जबकि वस्तु सूचियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

ञ. वर्ष 2012-13 और 2013-14 में जबकि आयातों की कीमतों में वृद्धि हो रही थी, याचिकाकर्ताओं की घरेलू कीमतों में भी वृद्धि हो रही थी।

ट. टीएनपीएल कतर से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से क्षति का सामना नहीं कर सकता क्योंकि टीएनपीएल भारत के दक्षिण-पूर्व में स्थापित है जबकि निर्यातक केवल उत्तर-पश्चिम को ही बिक्री करता है।

ठ. निरमा एक डिटर्जेंट निर्माता है, जिसके पास अपना स्वयं का एलएबी तैयार करने के लिए एक बैकवर्ड इंटिग्रेटिड प्लांट है और इसीलिए यह कतर से संबद्ध आयातों का सीधे मुकाबला नहीं करता। निरमा के लिए अपने एलएबी को सीधे प्रतिस्पर्द्धियों को बिक्री करना मुश्किल है और इसको बाजार अंश में गैर- डिटर्जेंट और गैर-एलएबी आधारित उद्योगों की ओर ध्यान केंद्रित होने के कारण गिरावट आई है।

ड. याचिकाकर्ता संगठित नहीं हैं और इसीलिए उनकी लागतें प्रतिस्पर्द्धी नहीं हैं। टीएनपीएल पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जैसा कि इसकी वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है।

ढ. कैरोसिन की उच्च लागतों और फीड स्टॉक की गुणवत्ता के मामलों के कारण, जैसा कि टीएनपीएल की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, भारत में एलएबी की उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अपेक्षाकृत अधिक रही है।

ण. याचिकाकर्ताओं ने हानि उठानी शुरू कर दी है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है और नकदी प्रवाह के मामलों में भी कमी आई है, जैसा कि टीनपीएल द्वारा अपनी वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है।

त. अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां याचिकाकर्ताओं की बिक्रियों की मात्रा से लगभग दोगुनी है। साथ ही, अन्य उत्पादकों की बिक्रियों में क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि हो रही है, जबकि घरेलू उद्योगों की बिक्रियों में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में कमी आई है, अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों में इस अवधि में वृद्धि हुई है।

थ. आरआईएल और आईओसीएल, दोनों ही याचिकाकर्ताओं की तरह संगठित नहीं है, परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता कंपनियों का आरआईएल और आईओसीएल की तुलना में काफी नुकसान है। चूंकि घरेलू उद्योग फीड स्टॉक की आपूर्ति के लिए आरआईएल और आईओसीएल पर भरोसा करता है, घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है।

द. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा की प्रवृत्ति वही रही है, जो प्रवृत्ति घरेलू उद्योग की बिक्रियों के मामले में रही है। साथ ही, वर्ष 2013-14 के दौरान जबकि संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई थी, यही स्थिति घरेलू उद्योग की बिक्रियों के मामले में रही। अतः यदि सभी घरेलू उद्योगों को नकारात्मक प्रभाव हो रहा है तो इसका कारण अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां रहा है।

ध. कुछेक घरेलू उत्पादकों के समक्ष बिजली की समस्याएं रही हैं, जिससे उनकी निर्धारित लागतों में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की एलएबी की उत्पादन की लागतें उच्चतर कच्ची सामग्री कीमतों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में अधिक हैं, जैसा कि टीएनपीएल की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है।

न. टीएनपीएल के समक्ष कैरोसिन को सामान्य पैराफिन में बदलने के संबंध में समस्या है, जो कि क्षति का एक स्रोत है, जैसा कि टीएनपीएल की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है।

प. निरमा लि. का आंतरिक अंतरण विगत चार वर्षों के दौरान कम हुआ है, जिसकी क्षति आकलन में जांच की जानी चाहिए।

फ. संबद्ध देशों से आयात सऊदी अरब के आयातों की तुलना में उसी कीमत पर है। यदि सऊदी अरब के आयातों की जांच समाप्त करने का कारण नकारात्मक क्षति मार्जिन पर आधारित है तो संबद्ध देशों से आयात का घरेलू उद्योग की बिक्री पर नकारात्मक कीमत प्रभाव नहीं पाया जा सकता। जांच की अवधि में चीन जन गण से कीमतें सऊदी अरब की कीमतों से केवल 2% कम थी और ईरान तथा कतर से आयात की कीमत सऊदी अरब की कीमतों से केवल क्रमशः 4% और 2% कम थी।

ब. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों, जैसे उत्पादन, क्षमता, उपयोग, बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य और वस्तु सूची में कोई गिरावट नहीं है।

भ. याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों के अनुसार फराबी की कीमत और चीन की कीमत के बीच अंतर केवल 2% का है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को फराबी के मामले में नकारात्मक मार्जिन का पता चला है और उसे जीओसी के मामले में प्रयोग किया जाए।

म. जीओसी ने केवल भारत से वर्ष 2014-15 में निर्यात करना शुरू किया है और इसीलिए जीओसी के संबंध में कोई क्षति नहीं हो सकती।

य. जांच की अवधि में भारत को चीन का निर्यात भारतीय मांग का काफी कम 1.48 % है, जिसे पाटन नहीं कहा जा सकता।

ककक. भारतीय आयात के आंकड़ों के अनुसार, चीन के उत्पाद की औसत आयात की कीमत मई, 2014 से जनवरी, 2016 तक के दौरान 1540 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। मई, 2014 में 1800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से जनवरी, 2016 में 1200 अमेरिकी डॉलर की कम दर रही। भारतीय निर्माता की उस अवधि में औसत निर्यात कीमत 1380 अमेरिकी डॉलर है जो आयातित कीमत से 10% कम है। यह मई, 2014 में 1580 अमेरिकी डॉलर की उच्च दर से जनवरी, 2016 में 900 अमेरिकी डॉलर की कम दर रही। भारतीय लैब उत्पादक अपना उत्पाद देश में आयात किए जा रहे एलएबी की कीमत से कम दर पर निर्यात कर रहे हैं।

खख. आउटपुट में गिरावट, यदि कोई है, तो वह मार्च और अप्रैल, 2015 में दो मिडल ईस्ट आधारित एन-पैराफिन उत्पादकों द्वारा रख-रखाव करने, संयंत्र पर तकनीकी मामलों अथवा फीड स्टॉक सामान्य पैराफिन (एन-पैराफिन) की कमी, तथा 2012-2015 के दौरान उत्पादन में वृद्धि जारी रहने के कारण थी, जैसा कि रिलायंस के आंकड़ों में दिखाया गया है।

गग. आईओसीएल अब अपनी क्षमता के 120% पर उत्पादन कर रहा है, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

घघ. घरेलू उद्योग का बाजार अंश 82% है जबकि महानिदेशक, संरक्षा को किए गए अनुरोध में बाजार अंश वर्ष 2008-09 78.84% था। इसका तात्पर्य यह है कि आयात बाजार के अंश में वर्ष 2008-09 में 21.16% से गिरावट आई है जबकि मांग में विगत 5 वर्षों में 66% तक गिरावट आई है।

ङङ. जहां तक याचिकाकर्ताओं का लाभों में गिरावट से संबंधित दावे का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों ने यह मत दिया है :

i. लाभों में गिरावट, यदि कोई हो, वह अस्थिरता, याचिकाकर्ताओं के कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति न होने, रख-रखाव बंद होने, सामान्य पैराफिन कमी के कारण कम उत्पादकता होने तथा दो प्रमुख घरेलू निर्माताओं की कीमत होने के कारण थी।
ii. प्रमुख कच्ची सामग्री का अपस्ट्रीम एकीकरण न होने के कारण याचिकाकर्ताओं की कम लाभप्रदता का होना हो सकता है।
iii. बिक्री कीमत में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट और उसके बाद कच्चे माल में गिरावट के कारण अंतर्राष्ट्रीय रूप से गिरावट आई है।
iv. बड़े निर्माता अपने अधिकांश उत्पाद फार्मूला आधारित कीमत पर बेच रहे हैं ताकि इसे आयात कीमत का सहारा मिले।

चच. एक याचिकाकर्ता का अधिकांश उत्पादन कैप्टिव खपत के लिए है। इसके अलावा, उनका निर्यात 75% तक गिर रहा है।

छछ. एक अन्य याचिकाकर्ता जब भी निर्यात करता है, आयातित की जा रही कीमत से कम कीमत पर निर्यात करता है।

जज. भारत में एलएबी आयात चीन से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आ रहे हैं, जैसे विश्व के किसी अन्य देश में आते हैं।

झझ. चीन ने जांच की अवधि में केवल 20304 मी. टन बिक्री की है, जो कुल भारतीय मांग का 3.5% है।

ञञ. जीओसी ने अप्रैल, 2014 से जून, 2015 तक चेन्नई बंदरगाह में केवल 600 मी. टन बिक्री की है, जो घरेलू निर्माता टीपीएल की दक्षिण में उत्पादन क्षमता का 0.5% है।

टट. सभी निर्यातकों से चेन्नई में आयात एक वर्ष में 5000 मी. टन से कम है, जो टीपीएल की मासिक उत्पादन क्षमता का 4% है। इसका यह तात्पर्य है कि घरेलू उत्पादकों के लिए 96% बाजार उपलब्ध है।

ठठ. जीओसी ने जांच की अवधि में और यहां तक कि अभी तक 2 माह को छोड़कर भारत के पश्चिमी घाट में किसी भी मात्रा में बिक्री नहीं की है।

डड. एलएबी का निर्यात भी चेन्नई बंदरगाह से शुरू हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण में घरेलू कमी है, क्योंकि वहां केवल एक ही उत्पादक है।

ढढ. पूर्वी घाट पर कोई निर्माता नहीं है। संभरण लागत पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट के लिए अधिक है। वर्ष 2015 में एक देश में अधिकांश आपूर्ति पूर्वी घाट अर्थात कोलकाता को है, जो जांच की अवधि के लिए बहुत ही कम अर्थात 3600 मी. टन है।

णण. जीओसी के भारत को किए गए सभी निर्यात चीन की घरेलू कीमतों की तुलना में समान अथवा उच्च कीमत पर किए गए हैं।

तत. 7.5% का सीमा शुल्क घरेलू उद्योग के लिए पर्याप्त उत्पादन है।

थथ. किसी भी पर्याप्त वृद्धि वाले आयात से गहन सामग्री क्षति नहीं हो रही।

दद. निर्यात के लिए अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए आयात को बाहर किया जाए। यदि ऐसा किया जाए तो आयात का अंश काफी कम होता है। इसके अलावा, भारतीय एचयूएल की ओर से उनके बांग्लादेश और नेपाल के कारखानों के लिए काफी आयात किए गए हैं, इसलिए वे भी निर्यात के लिए है।

धध. पाटनरोधी शुल्क संरक्षण चाहने वाली कंपनियां वित्तीय रूप से मजबूत और बड़ी समूह कंपनियां हैं।

नन. घरेलू बिक्रियां निर्यातों से की जा रही है। चेन्नई ने भी निर्यात शुरू कर दिया है।

पप. कोई भी कारणात्मक संबंध नहीं है। बंद किए गए संयंत्र आयातों के लिए नहीं है। क्षति, यदि कोई है, कच्चे तेल की कीमत में गिरावट और कीमत में अस्थिरता के कारण है।

फफ. भारत में संस्थापित क्षमता से अधिक मांग के कारण भारी कमी है।

बब. एलएबी का बाजार वर्ष 2012-18 के दौरान 4.3% की एक मिश्रित वार्षिक विकास दर पर वैश्विक रूप से बढ़ेगा और भारत में खपत 2016-17 तक 5,95,000 मी. टन तक पहुँचने की संभावना है जो कि घरेलू उत्पादन क्षमता से काफी अधिक है। अतः घरेलू उत्पादक के विकास के लिए काफी स्थान है।

भभ. घरेलू उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अवसर है, यदि वे निर्यातों पर ध्यान केंद्रित करें और वे अपना खोया आधार पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

मम. कोई भी पाटनरोधी शुल्क लगाने से एलएबी के प्रयोक्ताओं के लिए समस्याएं आएंगी।

यय. आयात के कारण एलएबी के निर्यातकों को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि विश्वव्यापी समग्र अर्थव्यवस्था पर दबाव है।

ककक. विगत 5 वर्षों के दौरान मांग में तकरीबन 66% तक की वृद्धि हुई है लेकिन संस्थापित क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत क्षमता में 60,000 मी. टन तक की कमी आई है। साथ ही, घरेलू निर्माण द्वारा बिक्रियों में वृद्धि विगत 5 वर्षों में उनके आंकड़ों के

अनुसार 50% नीचे गया है। यह इस तथ्य के के बावजूद है कि उनका निर्यात वर्ष 2006-07 में 60% तक कम हुआ है।

खखख. वर्ष 2013-14 के दौरान आयातों में गिरावट आई है, घरेलू उद्योग की बिक्री में भी इस अवधि के दौरान गिरावट आई है। इसका तात्पर्य यह है कि आयात उनकी हानि का कारण नहीं है।

गगग. घरेलू उद्योग के पास शेष वस्तु सूचियां घरेलू उद्योग के निर्यातों में पर्याप्त गिरावट के कारण है।

घघघ. याचिकाकर्ता के आंकड़े 93% क्षमता उपयोग को दर्शाते हैं और रिलयांस के आंकड़े भी उत्पादन में निरंतर वृद्धि के कारण क्षमता उपयोग में वृद्धि को दर्शाते हैं।

ङङङ. निवेश पर कम प्रतिफल लाभ में वृद्धि को प्रभावित कर सकता है।

चचच. पाटनरोधी शुल्क लगाना लोक हित में नहीं है क्योंकि मांग आपूर्ति अंतर आयातों से ही पूरा होता है। विचाराधीन उत्पाद भी डिटर्जेंट और पेस्टिसाइड जैसे प्रमुख उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग में लाए जाते हैं जो समाज के निचले वर्ग की पूर्ति करते हैं।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

44. क्षति के निर्धारण के संबंध में याचिकादाताओं द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जबकि जांच अवधि में भी उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(ख) संबद्ध देशों से आयात कुल आयातों का लगभग 62% हिस्सा बनते हैं।

(ग) समस्त अवधि में पूर्णरूपेण और भारत में उत्पादन और खपत के प्रसंग में आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(घ) आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिसके फलस्वरूप बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती हुई है।

(ङ) समस्त क्षति अवधि में आयातों की पहुंच कीमत उत्पादन की लागत के स्तर से नीचे बनी रही है।

(च) वर्ष 2013-14 तक बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में इनमें गिरावट आई है। तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्रियों की लागत के स्तर से काफी नीचे है। इस प्रकार आयातों ने जांच अवधि के दौरान बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को अत्यधिक मन्द करने का प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त जबकि विगत वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 में बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है, यह बिक्रियों की लागत के स्तर से नीचे बनी हुई है जिसके फलस्वरूप घाटे हुए हैं।

(छ) घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक संबद्ध वस्तुओ की पहुंच कीमत है। निम्न आयात कीमतों के कारण घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में पाटन के अत्यधिक न्यूनीकरण के प्रभाव का सामना कर रहा है।

(ज) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में विकट गिरावट आई है। विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पादन में मामूली सुधार आया था, लेकिन यह पहले प्राप्त हुए स्तर और अत्यधिक वित्तीय घाटों की लागत से नीचे था।

(झ) वर्ष 2013-14 तक घरेलू उद्योग की बिक्रियों में गिरावट आई थी और उसके बाद जांच अवधि में बिक्रियों में वृद्धि हुई है। लेनिक वर्ष 2011-12 और 2012-13 की तुलना में यह अभी भी निम्न स्तर पर बनी हुई है।

(ञ) विचाराधीन उत्पाद की मांग के भारत में उपलब्ध क्षमता से अधिक होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई है। क्षमता उपयोग जो कि आधार वर्ष में 81% था, जांच अवधि में गिर कर 64% हो गया है।

(ट) क्षति अवधि में पाटित आयातों के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार के हिस्से में वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है, लेकिन जांच अवधि के बाद उसमें गिरावट आई है।

(ठ) समस्त क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ में तेजी से गिरावट आई है।

(ड) क्षति अवधि में नकदी लाभ में भी गिरावट आई है। क्षति अवधि में ब्याज पूर्व लाभ में भी गिरावट आई है और वर्ष 2012-13 से यह नकारात्मक बना हुआ है। इसके फलस्वरूप निवेश पर प्रतिलाभ भी वर्ष 2012-13 से नकारात्मक बना हुआ है।

(ढ) घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर से क्षति अवधि में वृद्धि होने का पता चलता है। वेतन में सामान्य वृद्धि होने का पता चलता है, जो कि विशेष रूप से श्रम की लागत में वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन में गिरावट के समनुरूप उत्पादकता में प्रति दिन और प्रति कर्मचारी, गिरावट आई है।

(ण) वर्ष 2013-14 तक मालसूचियों के स्तर में वृद्धि हुई है और प्रस्तावित जांच अवधि में इनमें गिरावट आई है, लेकिन यह अत्यधिक बनी हुई है।

(त) घरेलू उद्योग को क्षति होने तथा कारणात्मक संबंध होने के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(1) बिक्रियों और बाजार के हिस्से की प्रवृति के बारे में प्रतिवादी पक्षकारों का आरोप वास्तव में गलत है। घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, जबकि क्षति अवधि में अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार का हिस्सा स्थिर बना हुआ है।

(2) चीन से वस्तुओं की दर में वृद्धि होने के तर्क के संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि उसमें सकारात्मक कीमत कटौती हुई है, अर्थात् चीन जनवादी गणराज्य का पहुंच मूल्य, अभी भी घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत से नीचे बना हुआ है।

(3) टीएनपीएल की वार्षिक रिपोर्ट में क्षति के अन्य कारकों को स्वीकार करने के संबंध में यह नोट किया जाए कि वार्षिक रिपोर्ट में विवरण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आने से संबंधित नहीं हैं। वार्षिक रिपोर्ट में विवरण, पाटन-रोधी मामले में क्षति अविध के दौरान संबंधित उत्पाद के निष्पादन में गिरावट आने से संबंधित संपूर्ण चित्र को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

(4) आरापों के विपरीत दोनों याचिकादाताओं को घाटे हो रहे थे।

(5) अन्य देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि होने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को मात्रा की क्षति होने के साथ-साथ कीमत में भी क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही मात्रा और कीमत की क्षति का कारण केवल संबद्ध देशों से पाटित आयातों का होना है।

(6) कीमत में आरोपित अनुचित कमी की मनाही की जाती है क्योंकि यह वास्तव में गलत है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों की कीमत से अधिक कीमतों पर बिक्री की है, जैसा कि सकारात्मक कीमत में कटौती होने से प्रदर्शित होता है।

(7) वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आने के तर्क के संबंध में निवेदन है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आने के अनेक प्राचल हैं और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कारक में गिरावट आ रही है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण घाटे हुए हैं और इसलिए वह पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत राहत की मांग कर रहा है।

(8) वर्ष 2012-13 से 2013-14 में कीमत में वृद्धि होने की प्रवृति के संबंध में निवेदन है कि घरेलू उद्योग आयात के पहुंच मूल्य में वृद्धि के समानुपात अपनी कीमत में वृद्धि नहीं कर सका था। जबकि वर्ष 2011-12 की तुलना में पहुंच मूल्य में 121 बिन्दुओं तक की वृद्धि हुई है, उसी अवधि में बिक्री कीमत में केवल 113 बिन्दुओं तक ही वृद्धि हुई है।

(9) केवल उत्तरी और पश्चिमी भारत को विचाराधीन उत्पाद को बेचने के निर्यातक के तर्क के संबंध में यह निवेदन है कि क्षति को समग्र घरेलू उद्योग के लिए देखा जाना चाहिए और न कि पृथक रूप से उसके भागों के लिए।

(10) निरमा द्वारा एलएबी की केप्टिव खपत के संबंध में यह निवेदन है कि उसके उत्पादन का पर्याप्त भाग व्यापारी बाजार के निमित्त होता है। इसके अतिरिक्त पाटित संबद्ध आयातों के कारण एलएबी की अर्थक्षम कीमत होने के कारण निरमा

को अपना ध्यान नॉन-डिटरजेंट की ओर संकेन्द्रित करने के लिए बाध्य किया जाता है और न कि गैर-एलएबी आधारित उद्योगों पर।

(11) याचिकादाताओं की लागत और एकीकरण के संबंध में टीएनपीएल तुलनीय प्रोद्योगिकी का प्रयोग करता है और पाटन-रोधी कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादक संरक्षण प्राप्त करने के लिए संघटित होने चाहिए।

(12) मिट्टी के तोल और फीडस्टॉक की गुणवत्ता के मुद्दे के संबंध में यह निवेदन है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को भारत में प्रचलित लागत और कीमत के अनुसार देखा जाए और न कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर। फीडस्टॉक का प्रभाव उत्पादन पर पडता है और न कि लाभ पर। वास्तव में यदि घरेलू उद्योग कम मात्रा में उत्पाद निर्मित करता है, तो उस पर उत्पाद को बेचने का कम दबाव पडता है और यदि घरेलू उद्योग की कम मात्रा होती है, तो उस पर बिक्री के लिए कम दबाव पडता है। इसलिए आरोपित कारक के फलस्वरूप लाभ मे उस सीमा तक तेजी से गिरावट नहीं आती, जिसमें घरेलू उद्योग को लाभ की स्थिति से अत्यधिक वित्तीय घाटे हुए हों।

(13) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध उत्पाद के पाटित आयातों के कारण एलएबी की कीमत में तेजी से गिरावट आने के कारण घाटे होने शुरू हुए थे और उसे अपरिष्कृत तेल की कीमतों अथवा नकदी प्रवाह के मुद्दों के कारण क्षति नहीं हुई है।

(14) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है, यह निवेदन है कि जबकि घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, फिर भी अन्य घरेलू उत्पादकों का बाजार का हिस्सा स्थिर बना हुआ है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है।

(15) आरआईएल और आईओसीएल के पश्चगामी एकीकरण और फीडस्टॉक आपूर्ति पर उसके प्रभाव के संबंध में यह निवेदन है कि घरेलू उद्योग को कच्चा माल अधिप्राप्त करने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं हुई है। घरेलू उद्योग की क्षति का एक मात्र कारण संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों का होना है।

(16) आयात की मात्रा की प्रवृति और घरेलू उद्योग की बिक्रियों की प्रवृति से उसकी तुलना करना वास्तव में गलत है। जबकि घरेलू उद्योग की बिक्रियों गिरावट आई है, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।

(17) वियुत के मुद्दों से संबंधित टीएनपीएल की वार्षिक रिपोर्टों और घरेलू उद्योग के सामने पेश आ रहे अन्य मुद्दों पर आधारित तर्क के संबंध में पुनः निवेदन है कि वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक विवरण, इस निष्कर्ष को नहीं बदलते हैं कि उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। वार्षिक रिपोर्ट में विवरण, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट के बारे में नहीं हैं। प्राधिकारी का संबंध क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन से है। तथापि, वार्षिक रिपोर्टें विचाराधीन अवधि पर ही ध्यान संकेन्द्रित करती हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी घरेलू प्रचालनों के बारे में चिंतित हैं, जबकि वार्षिक रिपोर्टें कंपनी के समग्र प्रचालनों के बारे में होती हैं। इस प्रकार वार्षिक रिपोर्ट में विवरण, पाटन-रोधी मामले में संबंधित उत्पाद की क्षति अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन में गिरावट के बारे में पूर्ण छवि प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को भारत में प्रचलित लागत और कीमत के अनुसार देखा जाए और न कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर।

(18) निरमा लिमिटिड के आंतरिक अंतरण के संबंध में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां अधिक प्रासंगिक है और न कि उसका केप्टिव अंतरण। घरेलू बाजार/बिक्री के लिए क्षति का निर्धारण करने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकडों से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री भाग में आर्थिक क्षति हुई है।

(19) जीओसी के कारण क्षति होने के संबंध में यह देखा जाए कि क्या जांच अविध के दौरान आयात न्यूनतम सीमा से अधिक हुए हैं, क्या ये आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं और क्या उनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि समग्र जांच अवधि में प्रत्येक संबद्ध देश से आयात होने चाहिए।

(20) वास्तव में यह गलत है कि भारत में चीन के निर्यात, कुल भारतीय मांग का केवल 1.48% हैं। इसका सही आंकडा 3% से अधिक का है। इसके अतिरिक्त यह तर्क असंगत है क्योंकि चीन से आयात, 3% की न्यूनतम सीमा की तुलना में कुल आयातों का 10% है।

(21) एलएबी के भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्यात के संबध में दिया गया तर्क वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने नगण्य मात्रा में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं और किसी भी स्थिति में यदि ऐसे निर्यातों से कोई क्षति हुई है, तो उसे पहले से ही पृथक कर दिया गया है।

(22) उत्पादन में गिरावट आने के कारणों को दर्शाने वाले तर्क निराधार हैं। एलएबी के सस्ते आयात के कारण उत्पादन में गिरावट आई है और न कि फीडस्टॉक की कमी के कारण। घरेलू उद्योग ने अपनी कुल आवश्यकता की केवल 14% आयातित एन-पेरेफिन की खपत की है। इसके अतिरिक्त याचिकादाताओं ने क्षति की मात्रा का कोई दावा नहीं किया है। याचिकादाताओं ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रतिकूल कीमत प्रभाव का दावा किया है।

(23) आईओसीएल के जांच अवधि पश्चात के कार्य-निष्पादन के संबंध में अन्य घरेलू उत्पादक के जांच अवधि पश्चात का कार्य-निष्पादन, वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों से जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों के क्षति के प्रभाव से संरक्षण की मांग कर रहा है।

(24) वास्तव में यह गलत है कि घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा 82% है और संबद्ध देश से आयातों का बाजार का हिस्सा कम हुआ है। इसके विपरीत क्षति अवधि में

संबद्ध देश से आयातों के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है और क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, जो कि 35% से घट कर 26% रह गया है।

(25) पाटित आयातों के कारण कम बिक्री कीमत होने के कारण लाभ कम हुआ है। घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किया जाना चाहिए। उत्पादक और उसके सभी प्रचालनों के संबंध में क्षति का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह बहुत अच्छी तरह से समझा जाता है कि यदि कंपनी पश्चगामी एकीकृत थी अथवा अग्रगामी एकीकृत थी, तो प्राधिकारी केवल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में क्षति का निर्धारण करेंगे।

(26) बिक्री कीमत में अंतर्राष्ट्रीय रूप से गिरावट आने के संबंध में यह निवेदन है कि यदि घरेलू और निर्यात बाजार में बिक्री कीमत में कुछ सीमा तक गिरावट आई है, तो कोई पाटन नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि उत्पाद का निर्यात पाटित कीमत पर किया गया है, तो उससे स्पष्ट होता है कि उत्पाद को घरेलू बाजार में निर्यात कीमत से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था।

(27) केप्टिव खपत के संबंध में रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि उत्पादन का अत्यधिक भाग व्यापारी बाजार के निमित्त था।

(28) कम कीमत पर निर्यात के संबंध में याचिकादाताओं का निवेदन है कि यह भारतीय बाजार में पाटन के फलस्वरूप हुआ है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता, संबद्ध देशों द्वारा अन्य ऐसे बाजारों में कम कीमत के निर्यातों का सामना कर रहे हैं, जहां याचिकादाता निर्यात कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि याचिकादाता निर्यात में कम कीमत प्राप्त करेंगे।

(29) चीन से आयात कीमत, पाटित कीमते हैं। यह तर्क संगत नहीं है कि ये आयात अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर हो रहे हैं। अधिक तर्क संगत यह तथ्य है कि आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं।

(30) भारत में भौगोलिकीय स्थानों और क्षति के उसके प्रभाव से संबंधित जीओसी के विभिन्न तर्कों के संबंध में यह निवेदन है कि क्षति को समग्र घरेलू उद्योग के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और न कि उसके संभागों के लिए पृथक रूप से । इसके अतिरिक्त एलएबी के निर्यात के संबंध में निवेदन है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान केवल कम मात्रा में एलएबी के निर्यात किए हैं।

(31) जीओसी से आयात, चीन की घरेलू कीमत की तुलना में चाहे समान कीमत पर अथवा अधिक कीमत पर किए गए हैं, तर्क संगत नहीं है क्योंकि चीन एक एनएमई देश है और उसकी घरेलू कीमत, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए संगत नहीं है। चीन जनवादी गणराज्य के लिए घरेलू उद्योग द्वारा परिकल्पित सामान्य मूल्य पर आधारित पाटन मार्जिन अत्यधिक है।

(32) 7.5% के सीमा-शुल्क के संबंध में निवेदन संगत नहीं है ।

(33) जांच अवधि के दौरान पाटित कीमतों पर अत्यधिक आयात हुए थे जिसके कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

(34) इस तर्क के संबंध में कि उत्पादों का निर्यात करने के प्रयोजनार्थ आयात किए गए हैं, यह निवेदन है कि ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की जांच करने के लिए अग्रिम लाईसेंस के तहत आयातों को शामिल किया है। प्राधिकारी ने अन्य मामलों में भी इस तथ्य को माना है कि अग्रिम लाईसेंस के तहत किए गए आयातों का यह अभिप्राय नहीं है कि उनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती है।

(35) याचिकादाता कंपनियों की वित्तीय क्षमता से संबंधित तर्क के बारे में यह निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2012-13 से वित्तीय घाटे हो रहे हैं और जांच अवधि में उनमें सघन वृद्धि हुई है। ऐसी गिरावट अत्यधिक हुई और यह आर्थिक है।

(36) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में निवेदन है कि जांच के दौरान ये निर्यात बहुत नगण्य थे।

(37) मांग और पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर होने के तर्क के संबंध में निवेदन है कि संबद्ध देशों से निर्यातक इस तर्क पर कि मांग और पूर्ति के बीच अंतर व्याप्त है, पाटित कीमतों पर निर्यात नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होती है। इसके अतिरिक्त जांच अवधि के दौरान भारत में उत्पादकों की स्थापित क्षमता संबद्ध वस्तुओं की मांग से अधिक है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता अनप्रयुक्त पडी हुई है।

(38) विश्वभर में एलएबी के बाजार का विस्तार होने के संबंध में निवेदन है कि संबद्ध देशों से एलएबी के पाटित आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लागू होने पर ही घरेलू उद्योग संवृद्धि करने का प्रबंध करेगा।

(39) घरेलू उद्योग को यह सलाह देना अनुचित है कि वह अपना ध्यान निर्यातों पर संकेन्द्रित करे क्योंकि घरेलू उद्योग कोई रिआयत नहीं मांग रहा है, बल्कि वह तो व्यवसाय करने का समान क्षेत्र प्रदान करने की प्रार्थना कर रहा है।

(40) पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के कारण एलएबी के प्रयोक्ताओं को आपूर्ति के और अधिक प्रतिस्पर्द्धी स्रोत प्राप्त होंगे।

(41) उच्च क्षमता उपयोग के आरोप के संबंध में याचिकादाताओं ने वर्तमान मामले में क्षति की मात्रा का दावा नहीं किया है। याचिकादाताओं ने घरेलू उद्योग के कीमत प्राचल पर पाटन के प्रतिकूल प्रभाव पडने का ही दावा किया है।

(42) लाभ संवृद्धि को प्रभावित करने वाले निवेश पर कम हुए प्रतिलाभ की अवधारणा ने यह सिद्ध कर दिया है कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

45. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट किया है। प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया है।

46. नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को मात्रा और कीमत दोनों के प्रभाव की जांच करके क्षति की जांच करने की आवश्यकता है। क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; तथा (ख) ऐसे उत्पादो के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

47. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:

> *"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"*

48. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी प्राचलों में गिरावट आए। जबकि कुछ प्राचल गिरावट दर्शा सकते हैं, कुछ प्राचल सुधार भी दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति के

सभी प्राचलों पर विचार करना चाहिए और उसके बाद निष्कर्ष देना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है?

49. पहुंच मूल्य में मेसर्ज मुनताजत द्वारा पेश की गई छूट को उचित रूप से समंजित किया गया है, जैसे कि उनकी निर्यात आय में क्रेडिट को समंजित किया गया है।

50. प्राधिकारी ने तथ्यों और विभिन्न निवेदनों को ध्यान में रखते हुए क्षति के प्राचलों की जांच की है। निम्नोक्त जांच में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान किया गया है।

51. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचक, नामत: उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर उपरोक्त नियमावली के अनुबंध-2 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार विचार किया गया है।

संचयी मूल्यांकन

52. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध- II में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटन-रोधी जांच की जा रही है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे, जब वह यह निर्धारित करें कि:-

(क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; और

(ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

53. वर्तमान मामले में -

(क) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन, ऊपर निर्धारित सीमाओं से बहुत अधिक है।

(ख) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन निर्धारित सीमाओं से बहुत अधिक है।

(ग) आयातों का संचयी निर्धाकरण करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित की जाने वाली और भारतीय बाजार में बेची जाने वाली समान वस्तुओं से सीधे प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। वर्तमान मामले में संचयी निर्धारण के विरोध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

54. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित समझते हैं।

<u>मांग का मूल्यांकन</u>

55. संबद्ध वस्तुओं की घरेलू खपत/मांग का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों की मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों के साथ जोड दिया गया है और उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

केप्टिव खपत सहित मांग

	यूनिट	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**जांच अवधि वार्षिकीकृत**	**जांच अवधि**
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	2,72,963	2,76,097	2,68,849	2,77,987	3,47,483
अन्य उत्पादक	मी.टन	***	***	***	***	***
संबद्ध आयात	मी.टन	84,218	70,718	68,203	1,02,859	1,28,574
अन्य आयात	मी.टन	21,289	55,363	49,604	63,236	79,044
मांग/खपत	मी.टन	***	***	***	***	***
मांग/खपत	सूचीबद्ध	100	109	105	117	147

केप्टिव खपत रहित मांग

	यूनिट	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**जांच अवधि वार्षिकीकृत**	**जांच अवधि**

घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	2,24,390	2,27,036	2,27,605	2,44,078	3,05,097
अन्य उत्पादक	मी.टन	***	***	***	***	***
संबद्ध आयात	मी.टन	84,218	70,718	68,203	1,02,859	1,28,574
अन्य आयात	मी.टन	21,289	55,363	49,604	63,236	79,044
मांग/खपत	मी.टन	***	***	***	***	***
मांग/खपत	सूचीबद्ध	100	109	108	123	153

56. यह देखा गया है कि मांग, वृद्धि होने की प्रवृति दर्शाती है, चाहे उसमें केप्टिव खपत को शामिल किया गया है अथवा नहीं। हितद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण केप्टिव खपत में गिरावट आना है। तथापि, चूंकि केप्टिव खपत के बिना भी मांग में वृद्धि हुई है, इसलिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण केप्टिव खपत में गिरावट आना नहीं माना जा सकता है।

झ. <u>पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव</u>

आयात की मात्रा और बाजार का हिस्सा

57. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के प्रसंग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। क्षति का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकडों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा निम्नानुसार है:-

आयात	**यूनिट**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**जांच अवधि वार्षिकीकृत**	**जांच अवधि**
चीन	मी.टन	514	-	-	16,227	20,283
ईरान	मी.टन	37,587	30,941	20,841	28,610	35,762
कातार	मी.टन	46,117	39,777	47,362	58,023	72,529
संबद्ध देश	मी.टन	84,218	70,718	68,203	1,02,859	1,28,574
अन्य	मी.टन	21,289	55,363	49,604	63,236	79,044
कुल	मी.टन	1,05,507	1,26,081	1,17,807	1,66,095	2,07,619

58. यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2013-14 में संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है। तथापि, जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

59. वर्ष 2013-14 तक भारत में उत्पादन और खपत के प्रसंग में संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और घरेलू बाजार में उनकी खपत के प्रसंग में जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है:-

विवरण	**यूनिट**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**जांच अवधि वार्षिकीकृत**
केप्टिव खपत सहित खपत में संबद्ध आयातों का हिस्सा	%	17.60	13.61	13.53	18.32
केप्टिव खपत रहित खपत में संबद्ध आयातों का हिस्सा	%	19.59	15.03	14.74	19.50
उत्पादन के प्रसंग में आयात	%	23.94	21.04	22.55	34.74

ञ. <u>आयातों के कीमत पर प्रभाव</u>

60. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत के साथ तुलना करने से पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती की जा रही है अथवा क्या ऐसा आयातों से अन्यथा कीमत में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि होनी रूकती जो कि अन्यथा काफी अधिक होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती, कीमत में ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है।

<u>कीमत कटौती</u>

61. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात, बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना, घरेलू उद्योग की निबल

बिक्री वसूली से की है। प्राधिकारी ने कच्चे माल की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढाव होने के बारे में घरेलू उद्योग के तर्क को नोट किया है और इस प्रकार जांच अवधि के लिए त्रैमासिक कीमत कटौती का निर्धारण किया है, जो कि निम्नानुसार है:-

कीमत में कटौती	**चीन**					
विवरण	**यूनिट**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**जांच अवधि वार्षिकीकृत**	**जांच अवधि**
आयात	मी.टन	514	-	-	16,227	20,283
आयात मूल्य	लाख रूपए	486	-	-	15,638	19,547
सीआईएफ कीमत	रूपए./मी.टन	94,632	-	-	96,370	96,370
निर्धारणीय मूल्य	रूपए./मी.टन	95,578	-	-	97,334	97,333
सीमा-शुल्क की राशि	रूपए./मी.टन	7,168	-	-	7,300	7,300
उपकर	रूपए./मी.टन	215	-	-	219	219
पहुंच मूल्य	रूपए./मी.टन	1,02,961	-	-	1,04,853	1,04,852
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रूपए./मी.टन	***	-	-	***	***
कीमत में कटौती	रूपए./मी.टन	***	-	-	***	***
कीमत में कटौती	सीमा	0-10	-	-	0-10	0-10

कीमत में कटौती	**ईरान**					
विवरण	**यूनिट**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**जांच अवधि वार्षिकीकृत**	**जांच अवधि**
आयात	लाख रूपए	37,587	30,941	20,841	28,610	35,762
आयात मूल्य	रूपए./मी.टन	32,626	30,897	22,461	26,838	33,547
सीआईएफ कीमत	रूपए./मी.टन	86,801	99,859	1,07,772	93,806	93,806
निर्धारणीय मूल्य	रूपए./मी.टन	87,669	1,00,857	1,08,849	94,744	94,744
सीमा-शुल्क की राशि	रूपए./मी.टन	6,575	7,564	8,164	7,106	7,106

उपकर	रूपए./मी.टन	197	227	245	213	213
पहुंच मूल्य	रूपए./मी.टन	94,442	1,08,648	1,17,258	1,02,063	1,02,063
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	सीमा	0 से (-10)	0 से (-10)	0 से (-10)	0-10	0-10

कीमत में कटौती	**कातार**					
विवरण	**यूनिट**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**जांच अवधि वार्षिकीकृत**	**जांच अवधि**
आयात	लाख रूपए	46,117	39,777	47,362	58,023	72,529
आयात मूल्य	रूपए./मी.टन	42,096	40,756	52,385	56,213	70,266
सीआईएफ कीमत	रूपए./मी.टन	91,281	1,02,462	1,10,606	96,880	96,880
निर्धारणीय मूल्य	रूपए./मी.टन	92,194	1,03,486	1,11,712	97,849	97,849
सीमा-शुल्क की राशि	रूपए./मी.टन	6,915	7,761	8,378	7,339	7,339
उपकर	रूपए./मी.टन	207	233	251	220	220
पहुंच मूल्य	रूपए./मी.टन	99,316	1,11,481	1,20,341	1,05,407	1,05,407
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	सीमा	0 से (-10)	0-10	0-10	0-10	0-10

62. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक संबद्ध देश की पहुंच कीमत, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से नीचे थी, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कीमत में कटौती हो रही है।

<u>कीमत ह्रास/न्यूनीकरण</u>

63. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात, घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के कारण कीमतों में अत्यधिक सीमा तक ह्रास हो रहा है अथवा इससे कीमत में वृद्धि होने में रूकावट आ रही है, जो कि अन्यथा अत्यधिक सीमा तक हो जाती, प्राधिकारी ने क्षति अविध को दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों पर विचार किया है। इसकी स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	**यूनिट**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**जांच अवधि**
बिक्रियों की लागत	रूपए/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	116	124	114
बिक्री कीमत	रूपए/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	108	115	98
पहुंच कीमत	रूपए/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	113	123	107

आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट आई है, जबकि बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई है।

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2013-14 तक बिक्रियों और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में उनमें गिरावट आई है। तथापि, समस्त अवधि में बिक्री कीमत में हुई गिरावट, बिक्रियों की लागत में गिरावट से अधिक है। वास्तव में जबकि बिक्री कीमत में विगत वर्ष की तुलना में *** रूपए प्रति मी.टन की गिरावट आई है, विगत वर्ष की तुलना में लागत में *** रूपए प्रति मी.टन की गिरावट आई है। इस प्रकार आयातों के घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभाव पडे हैं।

<u>कम कीमत पर बिक्री</u>

65. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री करने से हुई क्षति की भी जांच की है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है:-

कम कीमत पर बिक्री (जांच अवधि)

क्षति-रहित कीमत	अमरीकी डालर/मी.टन	***
बिक्री कीमत	अमरीकी डालर/मी.टन	***

बिक्री कीमत जांच अवधि के लिए निर्धारित क्षति-रहित कीमत से कम है। कम कीमत पर बिक्री 5 - 15% है।

66. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत से कम थी। घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री करने से अत्यधिक क्षति हुई है।

ट. <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक प्राचल</u>

67. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 उल्लिखित प्रावधान यह है कि क्षति का निर्धारण करने के लिए समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की सार्थक जांच करना आवश्यक है। नियमावली में आगे यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री लाभ, उत्पादन, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन करना शामिल होगा। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच करने से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति प्राचलों के बारे में नीचे उल्लेख किया गया है।

(1). उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

68. उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:-

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि	जांच

					वार्षिकीकृत	अवधि
क्षमता	मी.टन	4,12,400	4,12,400	4,12,400	4,12,400	5,15,500
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी.टन	3,51,722	3,36,098	3,02,443	2,96,064	3,70,080
क्षमता उपयोग	%	85%	81%	73%	72%	72%
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	2,24,390	2,27,036	2,27,605	2,44,078	3,05,097
केप्टिव खपत	मी.टन	***	***	***	***	***
निर्यात बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियां	मी.टन	3,45,092	3,23,109	3,09,374	3,07,264	3,84,080

69. यह नोट किया जाता है कि -

(क) घरेलू उद्योग की क्षमता उन्हीं स्तरों पर बनी हुई है।

(ख) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है।

(ग) आधार वर्ष की तुलना में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई है।

(घ) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है।

(2). मांग में बाजार का हिस्सा

70. घरेलू बिक्रियों पर पाटित आयातों के प्रभाव और घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

केप्टिव खपत सहित मांग में हिस्सा

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	57%	53%	53%	50%
अन्य उत्पादक	%	21%	23%	23%	21%
संबद्ध आयात	%	18%	14%	14%	18%

अन्य आयात	%	4%	11%	10%	11%
मांग/खपत	%	100%	100%	100%	100%

केप्टिव खपत रहित मांग में हिस्सा

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	52%	48%	49%	46%
अन्य उत्पादक	%	23%	25%	25%	22%
संबद्ध आयात	%	20%	15%	15%	19%
अन्य आयात	%	5%	12%	11%	12%
मांग/खपत	%	100%	100%	100%	100%

71. घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा, वर्ष 2011-12 में 52% था, जो कि जांच अवधि में घट कर 46% रह गया । संबद्ध देशों का बाजार का हिस्से में वर्ष 2013-14 तक गिरावट आई और उसके बाद जांच अवधि में उसमें वृद्धि हो गई, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वर्ष 2013-14 तक गिरावट आई और बाद में जांच अवधि में उसमें वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार के हिस्से में वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि में उसमें गिरावट आ गई। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में अन्य उत्पादकों के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है।

(3). <u>लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ</u>

72. घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत, बिक्री कीमत, लाभ/हानि, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत	जांच अवधि
बिक्रियों की	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***

लागत						
सूचीबद्ध	प्रवृति	100	116	124	114	114
बिक्री कीमत	रूपए./मी.टन	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृति	100	108	115	98	98
लाभ/हानि	रूपए./मी.टन	***	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृति	100	11	13	(101)	(101)
कुल लाभ/हानि	लाख रूपए	***	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृति	100	11	13	(110)	(137)
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृति	100	79	52	63	78
पीबीआईटील-घरेलू	लाख रूपए	***	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	प्रवृति	100	28	26	(88)	(110)
आरओआई	%	***	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	सीमा	35 - 45	5-15	5 -15	(30) से (40)	(30) से (40)

(क) जबकि वर्ष 2013-14 तक उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई थी, जांच अवधि में दोनों में गिरावट आई है। चूंकि आयात घरेलू कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण कर रहे हैं, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे भी हुए हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान नकदी लाभ में भी अत्यधिक गिरावट आई है और यह आधार वर्ष की तुलना में नकारात्मक बन गया है।

(ग) इस अवधि के दौरान कर पूर्व लाभ में भी अत्यधिक गिरावट आई है और जांच अवधि में यह नकारात्मक बन गया है। इसके फलस्वरूप क्षति अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिलाभ में अत्यधिक गिरावट आई है और जांच अवधि में यह नकारात्मक बन गया है।

(घ) हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा के कारण वित्तीय घाटे हुए हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि

विचाराधीन उत्पाद की मांग और पूर्ति के बीच अंतर व्याप्त है और ऐसी स्थिति में आयात करना अपरिहार्य है। यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग 5,61,442 मी.टन थी। इसकी तुलना में भारतीय उद्योग द्वारा सृजित क्षमता 5,15,600 मी.टन थी। इस प्रकार देश में उत्पाद के लिए मांग और पूर्ति में स्वीकार्य अंतर व्याप्त था। ऐसी स्थिति में जिसमें देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग, घरेलू उद्योग की संयुक्त क्षमताओं से अधिक होती है, तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कुछ सीमा तक अत्यधिक गिरावट आने से घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे होना स्वभाविक है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ का समाधान घरेलू उत्पादकों के बीच संभवतः बढ रही पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा से नहीं हो सकता है। इस संबंध में यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताओं में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग ने 22% की वृद्धि दर्शायी है। वस्तुतः इसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्द्धा में कुछ गिरावट आनी चाहिए लेकिन पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

(4). <u>माल सूचियां</u>

73. संबद्ध वस्तुओं की मालसूची से संबंधित आंकडे नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत
प्रारंभिक स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
अंत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
औसत स्टॉक	मी.टन	12,195	21,999	24,704	13,902

यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूचियों में वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है और जांच अवधि के अंत में उनमें गिरावट आई है।

(5). <u>रोजगार, उत्पादकता और वेतन</u>

74. रोजगार, उत्पादकता और वेतन से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत
रोजगार	संख्या	853	984	791	797
वेतन	लाख रूपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृति	100	104	94	116
उत्पादकता प्रति दिन	मी.टन/प्रति दिन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृति	100	96	86	84
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृति	100	83	93	90

यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है। अदा किए गए वेतन में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी गिरावट आई है।

(6). <u>संवृद्धि</u>

संवृद्धि (अलग-अलग वर्ष)		2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि वार्षिकीकृत
उत्पादन	%	-	-4.44%	-10.01%	-2.11%
घरेलू बिक्रियां	%	-	1.18%	0.25%	7.24%
मालसूची	%	-	80.40%	12.30%	-43.73%
बाजार का हिस्सा	%	-	-3.91%	0.20%	-3.83%
लाभप्रदता	%	-	-88.97%	20.34%	-861.14%
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	-	-19.46%	-0.73%	-33.57%

यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि और क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से और उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर दृष्टिगत हुई है।

75. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार के हिस्से, लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की समग्र संवृद्धि नकारात्मक थी।

(7). <u>पाटन का स्तर और पाटन मार्जिन</u>

76. यह देखा गया है कि भारत में संबद्ध देश से आयात, पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और पाटन का मार्जिन अत्यधिक है।

(8). <u>घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक</u>

77. संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात की कीमतों को ध्यान में रखते हुए लागत के ढांचे, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, पाटित आयातों से भिन्न कारक, जो कि घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, से पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत में कटौती हो रही है। सऊदी अरब से आयात कीमत, संबद्ध देशों से आयात कीमतों से बहुत अधिक बनी रही है। लेकिन सऊदी अरब से मास-वार आयात कीमत के विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयात कीमतें, सऊदी अरब से आयात कीमतों से कम थीं। भारतीय उत्पादकों के लिए मानक (बैंचमार्क) आयात कीमतें है। उत्पाद का कोई अर्थक्षम स्थानापन्न नहीं है। उत्पाद की मांग अत्यधिक वृद्धि दर्शा रही थी और यह घरेलू उद्योग के सामने पेश आ रही कीमत ह्रास के लिए जिम्मेदार कारक नहीं हो सकती थी। घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए जिम्मेदार एक मात्र कारक, भारत में उत्पाद की आयात कीमतें और घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत है। जब लागत बढ रही थी, तो आयातों के कारण अत्यधित कीमत ह्रास हुआ है और जब लागत घट रही थी, तो आयातों के कारण कीमत ह्रास हो रहा था ।

(9). <u>पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता</u>

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में विचाराधीन उत्पाद की बढती मांग के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन में वृद्धि करने की कोई नहीं बनाई है। किसी अन्य घरेलू उत्पादक ने भी क्षमता में किसी प्रकार का संवर्धन करने की कोई योजना नहीं बनाई है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि आयातों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उसके उत्पाद का निरंतर प्रतिकूल निष्पादन हुआ है, जिसने उसे क्षमताओं को बढाने से प्रतिबंधित किया है।

<u>आर्थिक क्षति पर निष्कर्ष</u>

79. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और कीमत के प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव की जांच करने के बाद यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है, जब कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अत्यधिक आयात होने के कारण संबद्ध वस्तुओं की मांग में संबद्ध देशों के बाजार के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण कीमत प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के अत्यधिक आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि बिक्रियों, क्षमता उपयोग, बाजार के हिस्से, लाभ, नकदी लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय घाटे हो रहे हैं। इस प्रकार प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उद्योग का आर्थिक क्षति हुई है।

<u>क्षति मार्जिन</u>

घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ करने पर जांच अवधि के दौरान सकारात्मक क्षति मार्जिन का पता चलता है, जो कि निम्नानुसार है:-

(क)

कतर

उत्पादक	निर्यातक	क्षति मार्जिन %
मै. सीफ लिमिटेड	मै. मुंताजात	0-10
मै. सीफ लिमिटेड	मै. रेनिश पैट्रोकैम एफजैडई ट्रेडर द्वारा तथा मै. मुंताजात	20-30
मै. सीफ लिमिटेड	उपरोक्त i तथा ii की भारित औसत	5-10
कोई	कोई	20-30

(ख)

चीन जनवादी गणराज्य			
क्रमांक	**उत्पादक**	**निर्यातक**	**क्षति मार्जिन** %
1.	मेसर्ज जिआंग्सू जिनटुंग केमिकल कार्पोरेशन लिमिटिड	मेसर्ज होटुंग केमिकल कार्पोरेशन और मेसर्ज शार्पिनवेस्ट	0-10
2.	मै. जियांग्सु जिंन्टुग कैमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मै. जियांग्सु जिंन्टुग कैमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0-10
3	कोई भी	कोई भी	0-10

(ग)

ईरान			
क्रमांक	**उत्पादक**	**निर्यातक**	**क्षति मार्जिन** %
1.	कोई भी	कोई भी	0-10

ठ. <u>अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध</u>

80. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत प्रभावों से उसकी कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने और कीमत ह्रास के प्रभाव के रूप में पाटन-रोधी संबंधी भारतीय नियमावली और करार के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से भिन्न कोई अन्य कारक भी घरेलू उद्योग की क्षति के लिए जिम्मेदार कारण हो सकता है।

(क) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात अधिक कीमतों पर किए गए हैं अथवा वे संबद्ध वस्तुओं की मात्रा के आंकडों के रूप में नगण्य हैं। सऊदी अरब से आयातों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। तथापि, यह नोट किया गया था कि जिन कीमतों पर सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयात किए जा रहे थे, उनके कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही थी। इन कीमतों को वर्तमान मामले में भी दुबारा नकारात्मक पाया गया है।

(ख) मांग का संकुचन और खपत के पेटर्न में परिवर्तन

82. समस्त क्षति अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में गिरावट आना घरेलू उद्योग की क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता है।

(ग) प्रोद्योगिकी में विकास

83. संबद्ध उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रोद्योगिकी में किसी भी प्रकार का कोई विघटनकारी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रोद्योगिकी में संभावित विकास, घरेलू उद्योग की क्षति का कारक नहीं है।

(घ) व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा

84. ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

85. घरेलू उद्योग के निर्यात का हिस्सा, उनकी कुल बिक्रियों में बहुत कम बनता है। हालांकि घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा में गिरावट आई है, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई क्षति की सूचना, घरेलू प्रचालनों के लिए है और इसलिए प्राधिकारी द्वारा यह माना गया है कि निर्यात की मात्रा में गिरावट आना घरेलू उद्योग की क्षति के लिए प्रासंगिक नहीं है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

86. यह नोट किया जाता है कि इस अवधि के दौरान उत्पादन प्रति कर्मचारी के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के लिए लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में गिरावट इतनी अधिक है कि उसमें गिरावट आने को उत्पादकता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

87. यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों से क्षति हुई हो। प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित प्राचलों से पता चलता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है:-

(क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात अत्यधिक थे जिनके कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को अत्यधिक कम करने के लिए बाध्य होना पडा है। मुख्यतया यह नोट किया जाता है कि देश में पाटन के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास हुआ है।

(ख) घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को अत्यधिक कम करने के लिए बाध्य होना पडा था जिसके कारण उसको वित्तीय घाटे हुए हैं। इस प्रकार आयातों के कारण हुए कीमत ह्रास के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ में अत्यधिक गिरावट आने के कारण घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे हुए हैं।

(ग) संबद्ध देशों से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप बिक्रियों, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार के हिस्से, लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन मे गिरावट आई है। यदि इस पर विचार किया

जाता है कि पूर्णतया पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में गिरावट नहीं आई है, फिर भी लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट बहुत अधिक है और यह वास्तविक है। अकुशलता और परिवर्तनीय प्रचालन कारकों के कारण हुई घरेलू उद्योग की क्षति का समाप्त करने के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने से ऐसे कारक समाप्त हो जाते हैं। घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय घाटे हो रहे हैं। इस प्रकार उत्पाद के पाटन के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है।

प्रकटन पर टिप्पणियां :

88. प्रकटीकरण के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित टिप्पणियां विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई हैं अर्थात घरेलू उद्योग के लिए मै. टीपीएम, सीसीईएफ, मंताजत और रेनिश पैट्रो कैमिकल की ओर से मै. ई.एल.पी., मै. जियांगसू जिनतुंग कैमिकल्स कार्पो. लि., मै. होतुंग कैमिकल कॉर्पो. और शापेइवेस्ट, मै. ग्रेट ओरिएंटल कंपनी, चीन की ओर से मै. दुआ एसोसिएट्स, डीएमएआई और हिंदुस्तान यूनीलिवर की ओर से मै. एल के एस ।

1. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

(क) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और बेचा गया उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य और विशेष रूप से ईरान द्वारा निर्यातित उत्पाद से भिन्न है । प्रयोक्ता उद्योग द्वारा ईरान और चीन से निर्यातित उत्पाद के मामले में अपेक्षित अतिरिक्त मात्रा क्रमश: 0.8 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत है । इसलिए, इसके लिए समंजन, पहुंच कीमत अथवा क्षति मार्जिन के लिए कारक होना चाहिए ।

2. घरेलू उद्योग का आधार/कार्यक्षेत्र

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के समय घरेलू उद्योग के लिए "मुख्य अंश" का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रियाविधि का उपयुक्त रूप से प्रकटन नहीं किया है । हालांकि निरमा और टीएनपीएल का भारत के कुल उत्पादन में केवल 32 प्रतिशत अंशदान है, फिर भी जांच शुरू की गई है । इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में आरआईएल को शामिल करना भी आवश्यक समझा है, जिसने

असावधानीपूर्वक से यह स्वीकार किया है कि निरमा और टीएनपीएल का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख भाग नहीं बनता है । इस तथ्य के बावजूद कि जांच शुरू करने के 6 महीने के बाद आरआईएल ने आंकड़े प्रस्तुत किए थे, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आरआईएल को शामिल करना स्वीकार कर लिया है । जांच के ऐसे विलंबित चरण में आर आई एल को शामिल करना न केवल उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करना भी है ।

(ख) संयुक्त आंकड़े सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में आरआईएल को शामिल करके प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि निरमा लिमिटेड और तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के उत्पादन को प्रमुख अंश नहीं माना जा सकता है ।

(घ) प्रकटन विवरण से यह सिद्ध होता है कि हितबद्ध पक्षकार यह मत प्रकट करके कि यदि आर आई एल के आंकड़ों को शामिल कर लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होने का मामला नहीं बनता है, निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे।

(ड.) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के भाग के रूप में आर आई एल को शामिल करके स्थापित क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया है और जांच को समाप्त नहीं करके अपना दायित्व नहीं निभाया है ।

3. सामान्य मूल्य

(क) चीन और ईरान के लिए सामान्य मूल्य की संरचना पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है । प्राधिकारी ने चीन और ईरान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में उल्लिखित प्रावधानों को उचित ढंग से लागू नहीं किया है ।

(ख) प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का परिकलन, क्षति विश्लेषण, विलंबित तारीख को आर आई एल के द्वारा प्रस्तुत समर्थन पत्र में हुए विलंब को माफ करने जैसे विविध निवेदनों तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अनेक अन्य मुद्दों पर विचार नहीं किया है ।

(ग) कतर के मामले में परिकलित सामान्य मूल्य त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उप-उत्पाद की बिक्रियों के राजस्व को लागत से बाहर नहीं रखा गया है ।

4. क्षति

(क) संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । इन आयातों का घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है । घरेलू उद्योग की क्षमता का रिकॉर्ड उचित ढंग से नहीं रखा गया है क्योंकि इसमें आरआईएल के वदोदरा संयंत्र के बंद होने को नहीं दर्शाया गया है ।

(ख) मूल्यह्रास में वृद्धि होने के कारण आर आई एल की लाभप्रदता कम हुई है । बिक्रियों की लागत में गिरावट को आर आई एल के बढ़ते मूल्यह्रास के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है । क्षति और पाटन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है ।

(ग) घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों से हुई है, जैसे कि विद्युत कटौती में वृद्धि, मिट्टी के तेल की लागत में वृद्धि और उसके गुणवत्ता संबंधी मुद्दे, सामान्य पैराफिन आयातों की उपलब्धता की अनिश्चितता और विनिमय में उतार-चढ़ाव होने का खतरा जैसा कि तमिलनाडु पैट्रोप्रोडक्ट्स लि. द्वारा सूचित किया गया है ।

(घ) क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर किया गया है । निर्धारित एन आई पी के मिश्रित ब्यौरे घरेलू उद्योग को प्रकट किए जाने चाहिए थे ताकि याचिकादाता उस पर टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकें ।

(ड.) प्राधिकारी ने सउदी अरब से आयातों के नकारात्मक क्षति मार्जिन का प्रकटन नहीं किया है और उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ऐसा वार्षिक और त्रैमासिक आधार पर किया गया है ।

(च) घरेलू उद्योग को कोई कीमत क्षति नहीं हुई है । प्राधिकारी ने केवल कीमत और लागत के चरण पर विचार किया है, लेकिन फीड स्टॉक लागत के साथ बिक्रियों की लागत को

उचित ढंग से नहीं देखा है । घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि उसकी अंतरभूत कमियों के कारण हुई है ।

(छ) घरेलू उद्योग और आरोपित पाटन के बीच कारणात्मक संबंध होने की स्पष्ट कमी है ।

(ज) प्राधिकारी को सउदी अरब की सीआईएफ कीमत और नकारात्मक क्षति मार्जिन के परिकलन के विवरण प्रदान करने चाहिए ।

(झ) मै. ग्रेट ओरिएंटल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड को उत्तर देने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । हालांकि, उसने एमईटी और एफओबी कीमतों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है तथा उसे स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके बारे में हमें सूचित करना चाहिए था ।

(ट) घरेलू उद्योग के लिए परिकलित एनआईपी कीमत के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को बताया जाना चाहिए ।

(ठ) पहुंच मूल्य का निर्धारण विभिन्न मानदंडों के अनुसार भिन्न रूप से किया गया है।

(ड) इसकी आयात सामग्री पश्चिम समुद्री तट के साथ-साथ पूर्वी समुद्री तट पर आयी थी । इनके कारण होने वाले कीमत अंतर को ध्यान में नहीं रखा गया है ।

(ढ) जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है । केवल याचिकादाताओं ने ही क्षति के बारे में सूचित किया है न कि दो अन्य उत्पादकों ने । घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद की कीमत में गिरावट आने का कारण मुख्यत: कच्चे माल की कीमतें होना है । घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग के साथ घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों से क्षति होने का पता नहीं चलता है ।

(ण) प्राधिकारी ने एल ए बी का उत्पादन करने की एकीकृत सुविधा के मुद्दों पर विचार नहीं किया है और उन्होंने एनआईपी का परिकलन उचित ढंग से नहीं किया है ।

(त) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दायरे से सउदी अरब को बाहर रखने के लिए विश्वास की गई क्रियाविधि और परिकलनों का उपयुक्त रूप से प्रकटन नहीं किया है ।

(थ) हालांकि प्राधिकारी ने कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए त्रैमासिक आधार पर कीमत की तुलना करना महत्वपूर्ण समझा है, फिर भी ऐसी कार्यप्रणाली का उपयोग तथा त्रैमासिक विश्लेषण, पाटन और क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए भी किया जाना चाहिए था ।

(द) याचिकादाताओं को हुई क्षति के लिए संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है क्योंकि याचिकादाताओं को मात्रात्मक क्षति सउदी अरब से आयातों के कारण हुई है । इसलिए संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की कीमत और याचिकादाताओं की कीमत के बीच कोई सह-संबंध नहीं है । साथ ही, आयातों की मात्रा और मूल्य के बीच भी कोई सह-संबंध नहीं है तथा याचिकादाताओं के कार्य निष्पादन तथा बिक्रियों की मात्रा, बाजार का हिस्सा, उत्पादन, अन्त स्टॉक और उत्पादकता जैसे आर्थिक प्राचल से सकारात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है ।

(ध) प्राधिकारी ने विभिन्न गैर-जिम्मेदार कारकों जिनमें तृतीय देशों (सउदी अरब) से आयातों का मूल्य और कीमत, प्रौद्योगिकी में विकास, कतर से विचाराधीन उत्पाद के आयात जोकि टीपीएल के उत्पादन से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, याचिकादाताओं द्वारा अनुभव किए गए फीड स्टॉक की गुणवत्ता संबंधी मुद्दे और याचिकादाताओं को अपरिष्कृत तेल की कीमतों में गिरावट आने के कारण शुरू हुए घाटे तथा नकदी प्रवाह के मुद्दे शामिल हैं, का प्रकटन और उनका समाधान उचित ढंग से नहीं किया है ।

(न) मै0 रेनिस, निर्यातक ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उसने उनकी जांच में सहयोग नहीं दिया है, इसलिए उसे वर्तमान तथ्यपरक सांचे में सहयोगी नहीं माना जा सकता है । तद्नुसार उसके आंकड़ों को पाटन मार्जिन के परिकलन से बाहर रखा जाना चाहिए । पूर्वाग्रह के बिना मै. रेनिस के आंकड़ों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है तो अपनाई जा रही अभूतपूर्व पद्धति के लिए यथोचित कारण होने चाहिए कि जब कोई पक्षकार असहयोगी होता है और यह स्पष्ट होता है कि समय-समय पर बिक्रियों के निर्यात किए गए हैं, और वह भी जब प्राधिकारी द्वारा त्रैमासिक क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन पाटन और क्षति के परिकलन के लिए औसत क्रियाविधि का अनुपालन कर रहा है, ऐसा करना क्यों उचित है ।

(प) मै. दुआ एसोसिएट्स जोकि मै. जियांगसु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मै. होटंग कैमिकल कॉर्पोरेशन और मै. शार्प इन्वेस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रतिनिधि हैं, ने बताया है कि गोपनीय प्रकटन में उनको प्रकट की गई कारखानागत निर्यात कीमत सही है । उन्होंने यह निवेदन किया है कि चीन से आयात होने के कारण कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है और घरेलू उद्योग को किसी प्रकार की मात्रात्मक और कीमत संबंधी कोई क्षति नहीं हुई है । प्राधिकारी द्वारा इसकी पुनः संपुष्टि की जानी चाहिए कि सउदी अरब से आयातों के कारण कीमत में कोई कटौती नहीं की गई है अथवा क्षति होने का परिकलन नहीं किया गया है ।

(फ) मै. ग्रेड ओरिएन्टल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड की बिक्री कीमतें उसी स्तर पर हैं जिस स्तर पर फराबी की हैं और ये भारत में कुल बिक्रियों का केवल 1.35 प्रतिशत भाग है । घरेलू उद्योग के उत्पादन और लाभ में गिरावट अन्य कारणों से हुई है, जैसे कि फीड स्टॉक की कमी, कच्चे माल की अनिश्चित आपूर्ति और उसकी अनिश्चितता तथा अपरिष्कृत तेल की कीमतों में गिरावट ।

5. पाटन मार्जिन

(क) संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय वृतांत घरेलू उद्योग को प्रकट किया जाना चाहिए ।

(ख) बिक्रियों के दोनों माध्यम के लिए कतर के मामले में निर्यातक वस्तुतः वहीं है, अर्थात मुंताजत है, हालांकि एक माध्यम में रेनिस की उपस्थिति है । इसलिए अनुचित लाभ की रोकथाम करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । जैसा कि प्रकटन विवरण में दर्शाया गया है, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन मुंताजत द्वारा की गई सीधी बिक्रियों के संबंध में कम है । इस प्रकार, निर्यातक के लिए यह बहुत सुगम होगा कि वह सीधी बिक्रियों को अपनाए ताकि रेनिस द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में अधिक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन होने के बावजूद कम पाटनरोधी शुल्क लगे । वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की अधिक मात्रा से पूर्णतः कुंठित होंगे ।

(ग) मै0 ईएलपी ने बताया है कि प्राधिकारी को तुलना की त्रैमासिक विधि को अपनाना चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने शुल्क के अधिक मार्जिन का परिकलन करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदला है । प्राधिकारी ने कारखानागत निर्यात कीमत का समंजन करने में मै0 सीफ लिमिटेड की एस एंड डी लागत पर विचार किया है, जिसे उत्पादन की लागत में भी शामिल किया गया है । कारखानागत निर्यात कीमत के लिए घटाया गया विपणन शुल्क उचित नहीं है क्योंकि ग्राहकों के लिए बिक्री कीमत का निर्धारण विशिष्ट रूप से मै0 मुंताजद द्वारा किया गया है, जिसके लिए मै0 सीफ लिमिटेड के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है । प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के अपने परिकलन में सत्यापित आंकड़ों से विचलन के लिए क्रियाविधि और कारणों का प्रकटन उचित रूप से नहीं किया है तथा रेनिस पैट्रोकैम को वर्तमान जांच में सहयोगी नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने प्रश्नावली के अपने उत्तर में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के सत्यापन में शामिल नहीं होने के साथ-साथ प्राधिकारी की जांच प्रक्रिया में भी भाग नहीं लिया है ।

6. अन्य मुद्दे

(क) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को याचिका के अगोपनीय वृतांत को प्रस्तुत करने में 37 दिनों का समय लेकर अत्यंत विलंब किया है, जोकि विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.1.3 के असंगत है । इस कार्य में 37 दिनों के विलंब होने से जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसे माफ नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में मैक्सिको से ग्रे-पोर्टलेंड सीमेंट पर ग्वाटेमाला-सुनिश्चित पाटनरोधी उपाय संबंधी दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 के डब्ल्यू टी/ डी एस 156/आर के निर्णय का हवाला दिया गया है जिसमें यह माना गया है कि जांच शुरू होने के 8 दिनों के बाद याचिका उपलब्ध कराना पाटनरोधी करार का उल्लंघन करना है । इसलिए, वर्तमान जांच को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

(ख) पाटनरोधी शुल्क लगाना, जनहित में नहीं है क्योंकि इसके फलस्वरूप डिटरजेंट और पेस्टीसाइट्स की कीमतों में वृद्धि होगी ।

(ग) प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्रों की प्रति तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों की प्रति का भी प्रकटन किया जाना चाहिए ।

(घ) निर्धारित मात्रा में शुल्क लगाए जाने चाहिए क्योंकि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है । सीमाशुल्क बंदरगाह के प्राधिकारियों के पास ऐसा तंत्र नहीं है जिससे एक आयातक द्वारा सूचित की गई आयात कीमत की परिशुद्धिता सुनिश्चित हो सके । बंदरगाह के प्राधिकारियों के लिए आयात कीमत को सत्यापित करना न ही उपयुक्त है और न ही व्यवहार्य है। निदेशालय ने शुल्क को मानक के रूप में स्वीकृत किया है न कि शुल्क को उपयुक्त रूप में और उसने अनेक मामलों में उपायों के रूप में परिवर्तन किया है और यह कि शुल्क अमरीकी डॉलरों में लगाया जाना चाहिए ।

<u>प्राधिकारी की जांच</u>

89. प्राधिकारी ने प्रकटन के उत्तर में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की है जोकि निम्नानुसार है :-

(क) प्राधिकारी का यह मानना है कि याचिकादाता मैसर्स निरमा लिमिटेड और मैसर्स तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्ट्स लि. का याचिका दायर करने के समय भारतीय उत्पादन का प्रमुख अंश बनता है । तथापि, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर क्षति विश्लेषण को सुदृढ़ बनाने के लिए मै0 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जोकि पहले उसका एक समर्थक था, उसे भी घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र में शामिल कर लिया गया है ताकि घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में उसको शामिल करके क्षति का गहन मूल्यांकन के लिए सार्थकता और प्रतिनिधिक बढ़ाया जा सके जोकि किसी भी माइने में यह नहीं माना जाए कि याचिकादाता का याचिका दायर करने के लिए आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त, क्षति का संपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए आरआईएल के आंकड़ों पर विचार करना जांच प्रक्रिया का एक भाग है, जिसे प्राधिकारी ने विभिन्न प्रतिनिधियों के विचारों को ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण रखा है । जांच शुरू करने के समय विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा प्रत्युत्तर भेजने में विलंब नहीं करने के अनुरोध को समयबद्ध तरीके से भेजना अनुचित है क्योंकि यह पूर्णतया विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों पर सौंपा गया भिन्न दायित्व है ।

(ख) विभिन्न आर्थिक प्राचलों में घरेलू उद्योग की क्षति के संबंध में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 (2) के अनुबंध-2 में सूचीबद्ध सभी निर्धारित आर्थिक प्राचलों का

क्षति मूल्यांकन किया है तथा विश्लेषित प्रभाव को विभिन्न प्राचलों पर पृथक रूप से देखा है तथा विशेषकर जांच अवधि में कीमत पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समग्र विश्लेषण किया है जोकि क्षति मार्जिन के रूप में मात्रा में निर्धारित किया गया है । घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित उत्पादन की भारित औसत लागत में कमी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विभिन्न लागत संघटकों का सामान्यकरण करके दूर कर दिया गया है ।

(ग) हितबद्ध पक्षकारों को संशोधित जांच अवधि के लिए एनसीवी की प्रति प्रदान करने में हुए 37 दिनों के विलंब के संबंध में प्राधिकारी का यह मानना है कि 12 महीनों की अवधि के साथ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई एनसीवी याचिका पूर्णत: सार्वजनिक फाइल पर उपलब्ध थी जिसको वांछित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा देखा गया था/लिया गया था । जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना सभी पक्षकारों के सूचनार्थ डीजीएडी की वैबसाइट पर उपलब्ध थी । हालांकि बाद में याचिका का संशोधित एनसीवी वृतांत उपलब्ध करा दिया गया था और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय था तथा प्राधिकारी द्वारा उसकी समयावधिक बढ़ाई गई थी । इसलिए किसी भी पक्षकार के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है । वास्तव में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच में हुई दो मौखिक सुनवाई में निवेदन किए गए हैं । उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी ने कतर और घरेलू उद्योग के लिए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा उठाए गए सामान्य मूल्य और एनआईपी के सीमित मुद्दों पर दिनांक 2 मार्च, 2017 को प्रकटन पश्चात सुनवाई भी की है ।

(घ) प्राधिकारी सउदी अरब को शामिल नहीं किए जाने पर बार-बार किए गए निवेदनों को नोट करते हुए यह दोहराते हैं कि सउदी अरब से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का भारित औसत पहुंच मूल्य से नकारात्मक क्षति मार्जिन का पता चलता है कि जांच शुरू करने के चरण में ही जांच के कार्यक्षेत्र से सउदी अरब को बाहर निकालने की प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि होती है ।

(ड.) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां जारी की थीं। मैसर्स जियांग्सु, मै.शार्पिन बेस्ट और मै0 होटुंग के प्रतिनिधि मै0 दुआ एसोसिएट्स ने ही

निर्धारित प्रपत्र के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं । मै0 ग्रेट ओरिएंटल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड सहित किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने समय पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । बढ़ी हुई अवधि के समाप्त होने के बाद उत्पादक/निर्यातकों द्वारा आंकड़े प्रस्तुत करने के अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है । मै0 ग्रेट ओरिएंटल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड के इस तर्क के संबंध में कि उसने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है, प्राधिकारी का यह मानना है कि संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों को 22 फरवरी, 2016 तक निर्धारित प्रश्नावली में आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था । कुछ उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर समय सीमा को बढ़ाकर 8 मार्च, 2016 कर दिया गया था । प्राधिकारी द्वारा किसी भी उत्पादक/निर्यातक द्वारा विलंब से दिए गए उत्तर पर विचार नहीं किया गया है । मै0 ग्रेट ओरिएंटल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड द्वारा उल्लिखित प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत किए गए आंकड़े अपूर्ण थे और वे निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे जिसमें निर्यात कीमत के समंजन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार के समर्थक प्रमाण को प्रस्तुत किया गया है । अत्यधिक विलंबित तारीख को दिए गए ऐसे अपूर्ण उत्तर पर प्राधिकारी द्वारा उनकी सुसंगत पद्धति के अनुसार विचार नहीं किया गया है । ऐसे उत्पादक/निर्यातक को अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । तथापि, घरेलू उद्योग के आधार, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निवेदनों पर उचित रूप से विचार किया गया है । उत्पादकों/निर्यातकों ने एमईटी प्रश्नावली का भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, हालांकि उन्होंने ऐसी सूचना प्रदान किए जाने का दावा किया है । कंपनी ने मात्र यह बताया है कि वह सिंगापुर में पूर्णत: मै0 ग्रेट ओरिएंटल कैमिकल (टाइकांग) कंपनी लिमिटेड के स्वामित्वाधीन है और एसीआरए के कारोबार की छवि के क्षेत्र के साथ किसी भी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(च) कुछेक प्रयोक्ता ने यह उल्लेख किया है कि उनके निवेदनों पर विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी प्रासंगिक मुद्दों का इस जांच परिणाम के संबंधित भागों में उपयुक्त रूप से समाधान

करते हैं ताकि इस संबंध में बार-बार निवेदन न किए जाएं । घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र, घरेलू उद्योग की क्षति और पाटन के कारण होने वाली क्षति मोलेकुलर भार में भिन्नता होने के कारण समंजन पर जैसे मुख्य तर्कों पर उचित रूप से विचार किया गया है । प्राधिकारी ऐसे समंजन के संबंध में प्रयोक्ता उद्योग के अनुरोध को विशेष रूप से नोट करते हैं और दोहराते हैं कि आयातित वस्तुओं और घरेलू उद्योग की समान वस्तु के बीच किसी प्रकार का अंतर होने के कारण कारखानागत निर्यात कीमत पर समंजन करने की मात्रा के निर्धारण को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता है । इस मामले में 2 मार्च, 2017 को हुई सिविल सुनवाई में दो सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने निवेदनों में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उन्होंने इस प्रकार के अंतर के कारण अपनी कारखानागत निर्यात कीमत में किसी प्रकार का समंजन करने का दावा किया है । इसलिए ऐसे किसी भी समंजन पर विचार नहीं किया गया है ।

(छ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. सीफ लिमिटेड, मै. मुंताजत और मै. रेनिश पैट्रोकैम एफजैडई के प्रतिनिधि मै. ईएलपी ने यह बताया है कि मै. रेनिश एक असहयोगी उत्पादक/निर्यातक है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. रेनिश ने प्रस्तुत की गई प्रश्नावली के अपने उत्तर में सीआईएफ कीमतें उल्लिखित की हैं । निर्यात के इस माध्यम के लिए सामान्य मूल्य और कारखानागत निर्यात कीमत का आधार सीफ, उत्पादक और उसके सहयोगी निर्यातक नामत: मुंताजत द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े हैं, इसलिए ऐसे कानूनी प्रतिनिधि का तर्क जिसने रेनिश पैट्रोकैम की ओर से प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, द्वारा यह घोषित करना कि वह एक असहयोगी है, न युक्तिसंगत है और न ही तर्कसंगत । प्राधिकारी ने इसलिए इस माध्यम के लिए भी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है ।

(ज) मुंताजत के लिए कारखानागत निर्यात कीमत का समंजन करने के लिए विचार किए गए सीफ के एस एंड डी व्ययों को सही किया गया है क्योंकि उन्हें सीफ की उत्पादन लागत में शामिल किया गया है ।

(झ) मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मै. सीफ के संपूर्ण उत्पादन की मंताजात, घरेलू और सभी भूमंडलीय लक्ष्यों के निर्यातक ने 2012 के डिक्री कानून के जरिए बिक्री की है । कीमत निर्धारण मंताजात द्वारा किया गया है और विपणन शुल्क व निर्यातों पर विभिन्न व्ययों की कटौती के पश्चात निवल आय सीफ को अदा की गई है । यह नोट किया गया है कि मै. ई एल पी ने निर्यातों की दोनों तालिकाओं के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं अर्थात मंताजात के जरिए भारत को और मंताजात और रेनिश से भी भारत को । दोनों तालिकाओं के लिए पाटन और क्षति मार्जिन का पृथक-पृथक निर्धारण किया गया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादक और इसका विशिष्ट निर्यातक दोनों तालिकाओं के लिए समान है, हम दोनों तालिकाओं के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन और कम शुल्क नियम को लागू करने के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन भी निर्धारित कर सकते हैं ।

(ट) गोपनीय प्रकृति के एनआईपी/अन्य आंकड़ों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करने के संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से भिन्न अन्य हितबद्ध पक्षकारों को एनआईपी का प्रकटन नहीं करने की सुसंगत पद्धति का अनुपालन किया है ।

(ठ) क्षति और कारणात्मक संबंध पर किए गए निवेदनों के संबंध में प्राधिकारी ने बंदरगाह के क्लियरेंस की ओर ध्यान दिए बिना सहयोगी और असहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए पहुंच मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए भी इसी कार्यप्रणाली को अपनाया है । प्राधिकारी का विचार है कि समग्र जांच अवधि के लिए सामान्य मूल्य की तुलना भारित औसत आधार पर कारखानागत निर्यात कीमत के साथ करना भी समान रूप से प्रतिनिधिक और उपयुक्त होगा ।

(ड) 2 मार्च, 2017 को हुई सीमित सुनवाई में मै. ईएलपी द्वारा किए गए निवेदनों और तथा 2 मार्च, 2017 को दिए गए उनके स्पष्टीकरण के आधार पर प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत से उप-उत्पाद के बिक्री राजस्व का समंजन किया है । मै. सीफ लिमिटेड के एस एंड डी व्यों को निर्यात कीमत में से घटाया नहीं गया है, जैसा कि निर्यातक द्वारा 2 मार्च, 2017 को हुई सीमित सुनवाई में दावा किया है और स्पष्टीकरण दिया गया है ।

90. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण आर्थिक क्षति हुई है।

ड. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

91. मांग-पूर्ति की स्थिति और प्रयोक्ता उद्योग पर उसके प्रभाव पर प्रयोक्ता उद्योग के निवेदनों के संबंध में प्राधिकारी इस बात को मानते है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद की कीमत स्तर पर प्रभाव पड सकता है। तथापि, पाटन-रोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुचित प्रक्रिया समाप्त होगी, घरेलू उद्योग में होने वाली गिरावट रूकेगी तथा उपभोक्ताओं की व्यापक पसंद की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बढाने में सहायता मिलेगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोतों को बनाए रख सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतस्पर्द्धा का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। पाटन-रोधी उपाय करने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

<u>निष्कर्ष</u>

92. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्कों की जांच करने के बाद और उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि:

(1) संबद्ध देशों से संबद्ध उत्पाद का पाटन हो रहा है ।

(2) संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और कीमत ह्रास कर रहे हैं ।

(3) बाजार के हिस्से और लाभप्रदता के रूप में घरेलू उपयोग के कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है ।

(4) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

<u>सिफारिशें</u>

93. उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर प्राधिकारी ऐसी सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं कि

नीचे शुल्क तालिका में वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निम्नलिखित पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए ।

94. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं । तदनुसार संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे तालिका के कालम 8 में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है। प्राधिकारी का यह विचार है कि यह सिफारिश करना आवश्यक है कि नीचे दी गई तालिका में यथा निर्धारित विधि और पद्धति से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	उद्गम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मै. जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लि.	मेसर्ज होटुंग केमिकल कार्पोरेशन और मेसर्ज शार्पिनवेस्ट इन्टर्नेशनल लि.	23.78	अम. डॉ.	मी.ट.
2	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मै. जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लि.	मै. जियांगशु जिनटुंग कैमिकल कॉर्पोरेशन लि.	147.11	अम. डॉ.	मी.ट.
3	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपरोक्त क्रमांक 1 और 2 में उल्लिखित से भिन्न कोई अन्य संयोजन		147.11	अम. डॉ.	मी.ट.
4	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	चीन जनवादी गणराज्य	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कोई	कोई	147.11	अम. डॉ.	मी.ट.
5	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	147.11	अम. डॉ.	मी.ट.
6	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	कतर	मै. सीफ लिमिटेड	मै. मुंतजात*	46.49	अम. डॉ.	मी.ट.
7	38170011	लीनियर	कतर	कतर	मै. सीफ	मै.	46.49	अम.	मी.ट.

		एल्किल बेंजीन			लिमिटेड	मुंतजात * और मै. रेनिश पैट्रोकैमिकल एफजेडई (व्यापारी)		डॉ.	
8	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	कतर	उपरोक्त क्रमांक 6 और 7 में उल्लिखित से भिन्न कोई अन्य संयोजन		300.22		
9	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	कतर	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कोई	कोई	300.22	अम. डॉ.	मी.ट.
10	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कतर	कोई	कोई	300.22	अम. डॉ.	मी.ट.
11	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	ईरान	ईरान	कोई	कोई	71.8	अम. डॉ.	मी.ट.
12	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	ईरान	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	कोई	कोई	71.8	अम. डॉ.	मी.ट.
13.	38170011	लीनियर एल्किल बेंजीन	संबद्ध देशों से भिन्न कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है	ईरान	कोई	कोई	71.8	अम. डॉ.	मी.ट.

*मै. कतर कैमिकल कैमिकल एंड पैट्रोकैमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंताजात) क्यू.जे.एस.सी., कतर

<u>आगे की प्रक्रिया</u>

95. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी ।

(डा. इन्द्रजीत सिंह)
अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी